



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 04 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 13, 1948 शक संवत्) [संख्या 27

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	327—354	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	459—468	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	89—116	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1361-1399	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

औपबन्धिक नियुक्ति/विज्ञप्ति

21 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1045/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
332	54400062939	अर्चना सरोज	W/o शशि भूषण	उन्नाव	जागेश्वर प्रसाद सरोज, 560/24, सिविल लाइन्स, उन्नाव-209801	रा0आ0चि0, खोजाफूल, कानपुर देहात

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)— उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1046/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य

चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
335	54400009657	लतिका आहूजा	W/o विकास खुराना	झांसी	बलदेव आहूजा, 338/2, झोकन बाग, झांसी-284001	रा0आ0चि0, 15 शैय्या रा0आयु0 चि0, महरौनी, ललितपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के

भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)– उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)– परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1047/96-आयुष-1-2024-66/2011–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
336	54400055683	नेहा त्रिपाठी	W/o रमेश त्रिपाठी	जौनपुर	सत्य प्रकाश त्रिपाठी, 29B, बोदकरपुर, जौनपुर-222001	रा0आ0चि0, पियरी, प्रयागराज

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1048/96-आयुष-1-2024-66/2011–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
338	54400073759	आलोक कुमार अग्रहरि	S/o छोटे लाल अग्रहरि	सन्त रविदास नगर (भदोही)	छोटे लाल अग्रहरि, महुआरी, जंगीगंज, सन्त रविदास नगर (भदोही)-221310	रा0आ0चि0, माधोपुर, मिर्जापुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)– सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)– उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)– परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1049/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
339	54400026201	जय प्रकाश	S/o काशी राम	बस्ती	काशी राम, कटरिया नांनकर, अमारेडीहा-272194	रा0आ0चि0, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)— उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1050/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य

लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/ श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
340	54400079568	मोनिका	W/o मनीष काकड़	गाजियाबाद मनीष काकड़, D-109, SCC SAPPHIRE राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद-201017	रा0आ0चि0, तारापुर, मेरठ	

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)— उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1051/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/ श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
341	54400048489	धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी	S/o हरी मोहन द्विवेदी	महोबा	हरी मोहन द्विवेदी ग्राम- जैतपुर, पोस्ट-जैतपुर, महोबा-210423	रा0आ0चि0, अतरौली, चित्रकूट

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)– सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)– उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)– परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1052/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
342	54400081907	नेहा	W/o डा0 प्रमोद कुमार	कानपुर नगर	राम धनी, प्लॉट नं0-87, देवकी नगर, कानपुर नगर-208011	रा0आ0चि0, भैलोनीसूबा, ललितपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1053/96-आयुष-1-2024-66/2011–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
343	54400003051	राम अवतार	S/o रामसहाय	कांशीराम नगर	रामसहाय, किसरौली, कांशीराम नगर-207124	रा0आ0चि0, पहाड़पुर, हाथरस

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)– सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)– उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)– परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1054/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
344	54400007598	ओम पाण्डेय	S/o राम लखन पाण्डेय	हमीरपुर	डा0 ओम पाण्डेय, 266 ग्राम व पोस्ट-झलोखर, कुरारा रूरल, हमीरपुर-210505	15 शैय्या रा0आयु0चि0, जसवन्तनगर, इटावा

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)— उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1055/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/ श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
345	54400080679	शालिनी	W/o रविकान्त	मैनपुरी	देवेन्द्र सिंह, ग्राम व पोस्ट-लालूपुरा, तहसील-भोगांव मैनपुरी- 205001	रा0आ0चि0, औरैया नगर, औरैया

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)– उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)– परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1056/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
347	54400079054	परितोष झा	S/o स्व0 श्री ब्रज किशोर झा	फरीदाबाद, हरियाणा	परितोष झा, F-198 शिव दुर्गा विहार लक्करपुर नियर मीना मन्दिर, सुरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा-	रा0आ0चि0, कामर, मथुरा

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)— सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)— कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1057/96-आयुष-1-2024-66/2011–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
348	54400069923	प्रियंका वर्मा	D/o गुरु प्रसाद वर्मा	लखनऊ	मनीष सिंह, B-75 बसंत कुंज योजना, भरावन कला, लखनऊ- 226101	रा0आ0चि0, महेवागंज, लखीमपुर खीरी

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3– उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)– सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)– उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)– परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1058/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
349	54400062647	शोएब अहमद	S/o गुलाम मोहम्मद	चन्दौली	गुलाम मोहम्मद, मकान नं0-430A, ईस्टर्न बाजार, पी0डी0डी0यू0 नगर, चन्दौली-232101	रा0आ0चि0, जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)— सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)— उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)— परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)— सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)— उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1059/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/ श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
350	54400052525	सचिन कुमार शर्मा	S/o रघुवीर प्रसाद शर्मा	आगरा	सचिन कुमार शर्मा, 39/88B, फर्स्ट फ्लोर, ओल्ड ईदगाह कालोनी, आगरा-282001	रा0आ0चि0, खायरा, मथुरा

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7)– सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8)– उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9)– परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)– उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

बेसिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-आदेश/संशोधन

25 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 68-1001(099)/9/2025-श्रीमती सपना वार्ष्णेय (वरिष्ठ प्रवक्ता), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर द्वारा अपने उपनाम परिवर्तन (सपना वार्ष्णेय के स्थान पर सपना पाण्डेय) के सम्बन्ध में निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-राशै0/71/2वि0/डा0प्र0/38837-39/2024-25, दिनांक 25.11.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका के अध्याय-34 में निर्धारित व्यवस्थानुसार श्रीमती सपना वार्ष्णेय के नाम के स्थान पर श्रीमती सपना पाण्डेय पढ़े व समझे जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,
वेद प्रकाश राय,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 13, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

जिलाधिकारी रामपुर

प्रारूप-18

(नियम-20 का उपनियम (2))

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सरकार

18 जून, 2026 ई०

सं० 40/आठ एल०ए०सी० (भू०अ०)/रामपुर-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद रामपुर में रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के द्वारा आवासीय योजना के विकास हेतु राजस्व ग्राम भमरौआ, ताशका, बडपुरा शर्की, पहाडी की 7.3541 हेक्टे० भूमि के निर्माण हेतु समुचित सरकार/कलेक्टर की राय है, कि रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के माध्यम से जनपद रामपुर में व्योमकेश आवासीय योजना हेतु नियोजित भूमि के निर्माण राजस्व ग्राम भमरौआ, ताशका, बडपुरा शर्की, पहाडी परगना व तहसील सदर, जनपद रामपुर की कुल 7.3541 हेक्टे० भूमि की आवश्यकता है।

- सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2026 द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :-

जनपद रामपुर में रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा व्योमकेश आवासीय योजना हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों पहाड़ी (0.7560हे०), भमरौआ (4.8005हे०), बड़पुरा शर्की (0.2036हे०), ताशका (1.5940हे०) कुल रकवा 7.3541 हे० भूमि अति न्यूनतम सीमा तक (Absolute bare minimum) है और इससे कम विस्थापित किये जाने वाले कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामपुर जनपद में व्योमकेश आवासीय योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि का उपयोग जनहित में किया गया है।

3. भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।
4. उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-414/एफ-13-2014-7क (8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथा स्थिति सहायक कलेक्टर या उपकलेक्टर को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
5. अतः समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे०मे)
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
रामपुर	सदर	सदर	पहाड़ी	167	0.1180
				259	0.0860
				333	0.390
				359	0.0800
				368	0.0770
			बड़पुरा शर्की	13मि०	0.0242
				35	0.1700
				51	0.0094
			ताशका	452	1.0370
				464 / 2	0.5310
				470	0.0260
			भमरौआ	478	0.2530
				479	0.5400
				480	0.2750
				481	0.1700
				482	2.1000

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
रामपुर	सदर	सदर	भमरौआ	483	0.3040
				484	0.2090
				485	0.2020
				486	0.3040
				487	0.3170
				494	0.1265
योग—					7.3541

6. अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित कियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।
7. अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
8. अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है। टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा रामपुर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
समुचित सरकार/जिला कलेक्टर,
रामपुर।

OFFICE OF THE COLLECTOR, RAMPUR

FORM-18

[Sub-Rule (2) of Rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT, 2013]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

June 18, 2026

NOTIFICATION

No-40/8-LAC(LA)Rampur-Under Sub-Section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, for development of 7.3541 hectare Land of revenue village Tashka, Bhamraua, Barhpura Sharqi, Pahari by Rampur Development Authority in Rampur district, the appropriate Government/ Collector is of the opinion that for

Vyomkesh Residential Scheme for planned development through Rampur Development Authority, a total of 7.3541 hectare land of revenue village Tashka, Bhamraua, Barhpura sharqi, Pahari, Tehsil Sadar, Rampur district is required.

- 1- Social Impact Assessment study was carried out by Rohilkhand University District Bareilly as Social Impact Assessment agency and submitted its recommendations to the Appropriate Government which has approved the recommendations vide Dated 01-01-2026-
- 2- The summary of the Social Impact Assessment Report is as follow:

The land acquired by the Rampur Development Authority in Rampur district for the Vyomkesh Residential Scheme comprising a total area of 7.3541 hectares across the villages of Pahadi (0.7560 ha), Bhamraua (4.8005 ha), Barhpura Sharqi (0.2036 ha), and Tashka (1.5940 ha) has been limited to the (absolute bare minimum) no other alternative exists that would result in less displacement. The land acquired by the Rampur Development Authority for the Vyomkesh Residential Scheme in Rampur district has been utilized in the public interest.
- 3- Due to land acquisition, no family is being displaced in the said village.
- 4- The Govt- of Uttar Pradesh through his Notification No- 414/1-13-2014-7ka(8)/2014 dated August 06, 2014 has provided that the Assistant collector or Deputy Collector as the case may be, of the concerned Tehsil shall be appointed "Administrator for Rehabilitation and Resettlement of the affected families within the respective territorial Jurisdictions thereof. According to the said Govt. Order, the Deputy Collector Sadar, District Gautambudh Nagar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families within the respective territorial Jurisdiction-
- 5- Therefore, the Appropriate Government is pleased to notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

DISTRUCT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA TO BE ACQUIRED (IN HECT)
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Rampur	Sadar	Sadar	Pahadi	167	0.1180
				259	0.0860
				333	0.3950
				359	0.0800
				368	0.0770
			Barhpura	13 min	0.0242
			Sharqi	35	0.1700
				51	0.0094

1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Rampur	Sadar	Sadar	Tashka	452	1.0370
				464/2	0.5310
				470	0.0260
			Bhamraua	478	0.2530
				479	0.5400
				480	0.2750
				481	0.1700
				482	2.1000
				483	0.3040
				484	0.2090
				485	0.2020
				486	0.3040
				487	0.3170
				494	0.1265
				Total	7.3541

6- The Governor/Appropriate Government is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig, or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7- Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this Notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector-

8- Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land Sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed without prior approval of the Collector.

NOTE: The site map of the said land can be inspected at the office of the Collector of Rampur.

By Order,
Appropriate Government/District Collector,
Rampur.

प्रारूप-18**(नियम-20 का उपनियम (2)****समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना
(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)**

18 जून, 2026 ई0

सं0- 45/आठ-एल0ए0सी0(भू0अ0)/रामपुर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जनपद रामपुर में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर द्वारा जनपद रामपुर की तहसील मिलक के अन्तर्गत पटवाई मार्ग के मध्य मंडी समिति के सामने रेलवे सम्पार सं0-386सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 02 राजस्व ग्राम मिलक अस्दुल्लापुर एवं मिलक नसीराबाद की 0.20134 हेक्टे० भूमि निर्माण हेतु समुचित सरकार/कलेक्टर की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर के माध्यम से जनपद रामपुर की तहसील मिलक के अन्तर्गत पटवाई मार्ग के मध्य मंडी समिति के सामने रेलवे सम्पार सं0-386सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु राजस्व ग्राम मिलक अस्दुल्लापुर एवं मिलक नसीराबाद परगना व तहसील मिलक, जनपद रामपुर की कुल 0.20134 हेक्टे० भूमि की आवश्यकता है।

1. सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2026 द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:-
जनपद रामपुर में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर एवं राज्य सेतु निगम लिमिटेड के स्तर से जनपद रामपुर की तहसील मिलक के अन्तर्गत पटवाई मार्ग के मध्य मंडी समिति के सामने रेलवे सम्पार सं0-386सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण व्यापक जनहित में प्रस्तावित है। उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 02 ग्राम मिलक अस्दुल्लापुर (0.18404हे0) तथा मिलक नसीराबाद (0.01730हे0) कुल रकबा 0.20134हे0 कृषि भूमि अधिग्रहीत की गई है। यह अधिग्रहण अपरिहार्य एवं नितांत न्यूनतम सीमा (Absolute bare minimum) तक है, तथा इससे कम विस्थापन का कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है।
3. भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।
4. उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-414/एफ-13-2014-7क (8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथा स्थिति सहायक कलेक्टर या उपकलेक्टर को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, मिलक को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
5. अतः समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
					हे0
रामपुर	मिलक	मिलक	मिलक अस्तुल्लापुर	51	0.02090
				51	0.02090
				51	0.01393
				51	0.01393
				51	0.01393
				50	0.03485
				11	0.0087
				11	0.0088
				11	0.0088
				11	0.3930
			मिलक नसीराबाद	14	0.0173
योग					0.20134 हे0

6. अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7. अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8. अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क़य या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी: उक्त भूमि का स्थल नक्शा रामपुर के कलेक्टर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
समुचित सरकार/जिला कलेक्टर,
रामपुर।

FORM-18**[Sub-Rule (2) of Rule 20]****PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR****[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT, 2013]****GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH****18 June, 2026****NOTIFICATION**

NO: 45 /8-LAC(LA)/Rampur-Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, for development of 0.20134 hectare Land of revenue village Milak Asdullapur and Milak Nasirabad by PWD in Rampur district, the appropriate Government/Collector is of the opinion that for Construction of a 2-lane railway overbridge at Railway Level Crossing No. 386-C located opposite the Mandi Samiti on the Patwai Road within Tehsil Milak, District Rampur through the Executive Engineer, Construction Division, PWD, Rampur, a total of 0.20134 hectare land of revenue village Milak Asdullapur and Milak Nasirabad, Tehsil Milak, Rampur district is required.

1. Social Impact Assessment study was carried out by Rohilkhand University District Bareilly as Social Impact Assessment agency and submitted its recommendations to the Appropriate Government which has approved the recommendations vide Dated 01.01.2026.
2. The summary of the Social Impact Assessment Report is as follow:

In District Rampur, the construction of a 2-lane railway overbridge at Railway Crossing No. 386C, located in front of the Mandi Samiti on the Patwai Road within Milak Tehsil, has been proposed in the larger public interest by the Executive Engineer, Construction Division, Public Works Department (PWD), Rampur, and the State Bridge Corporation Limited. For the said construction work, agricultural land measuring a total area of 0.20134 hectares has been acquired from two affected villages Milak Asdullapur (0.18404 hectares) and Milak Nasirabad (0.01730 hectares). This acquisition is unavoidable and has been limited to the absolute bare minimum extent possible. No other alternative involving lesser displacement remains available.
3. Due to land acquisition, no family is being displaced in the said village.
4. The Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. 414/1-13-2014-7ka(8)/2014 dated August 06, 2014 has provided that the Assistant collector or Deputy Collector as the case may be, of the concerned Tehsil shall be appointed "Administrator for Rehabilitation and Resettlement of the affected families within the respective territorial Jurisdictions thereof. According to the said Govt. order, the Deputy Collector Sadar, District Gautambudh Nagar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families within the respective territorial Jurisdiction.
5. Therefore, the Appropriate Government is pleased to notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

SCHEDULE

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA TO BE ACQUIRED (IN HECT)
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Rampur	Milak	Milak	Milak	51	0.02090
			Asdullapur	51	0.02090
				51	0.01393
				51	0.01393
				51	0.01393
				50	0.03485
				11	0.0087
				11	0.0088
				11	0.0088
				11	0.3930
			Milak	14	0.0173
			Nasirabad		
Total					0.20134

6. The Governor/Appropriate Government is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig, or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed without prior approval of the Collector.

Comment: The site map of the said land can be inspected at the office of the Collector of Rampur on any working day.

By Order,
Appropriate Government/District Collector,
Rampur.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 13, 1948 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

कार्यालय, जिला पंचायत हमीरपुर

18 मई, 2026 ई०

नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि

सं० 420/21-एल०बी०ए०-उपविधि/2026-27-उत्तर प्रदेश, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239 (1) एवं धारा-239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत हमीरपुर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा-2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधि बनायी है। यह उपविधि उ०प्र० शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी—

1. अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।
2. ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी०एस०आई०डी०सी० के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।
3. विनियमन का तात्पर्य भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4. मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5. निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन का निर्माण करना, पुर्ननिर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6. भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मट्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7. छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8. ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे-रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9. निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10. तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11. फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12. भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13. ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे-पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14. ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15. प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है:-

अ. अभियन्ता-अभियन्ता, जिला पंचायत

ब. अवर अभियन्ता-इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16. कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत से है।

17. अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18. स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20. सेट-बैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21. अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर से है।

22. जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17(1) में संघटित जिला पंचायत हमीरपुर से है।

23. अध्यक्ष का तात्पर्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत हमीरपुर से है।

24. बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25. मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26. भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नास या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भु-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27. आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28. व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक हों और उसी भवन में स्थित हो, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29. संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (Processing) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (Processing) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30. भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31. पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National building Code ,or Bureau of Indian standar के यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत हमीरपुर के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाइटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी ।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा ।

1-उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

अ. ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य

हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी ।

ब. सफेदी व रंग-रोशन के लिए ।

स. प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए ।

द. पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए ।

य. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण ।

र. मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड़ढा भरना ।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार,ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा ।

1-स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा:-

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा ।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा ।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा ।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम ।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी ।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख ।

2-प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा ।

अ. प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित ।

ब. नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

- स. नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।
- य. भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र।
- र. भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।
- ल. स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास किये जाने की स्थिति व अन्य विवरण।
- व. नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खंड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।
- स. नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

2-बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी-

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि-

अ. प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब. प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

स. प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ)-तकनीकी अनुदेश (Technical Instruction)

1-क. एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

ख. भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

ग. लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

घ. बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

ड. बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Good)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

च. राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जाएगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

छ. बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2-निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10 क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

क.-जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राइवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि।

ख. मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

ग. ढके हुए पैदल पथ आदि।

3 क- आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

ख. छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

ग. ए०सी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

घ. रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

ड. संयुक्त संडास (TOILET) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

च. खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10: से कम न होना चाहिए।

छ. तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4 -क. पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

ख. 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रण्ट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

ग. भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाइनर की होगी।

5-स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयंकी जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6-बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

7-पहुँच की सुविधा:-

इस उपविधि के अनुसार ले-आउट हेतु प्रस्तावित भूमि तक पहुँच की सुविधा सार्वजनिक मार्ग/सड़क से होंगे। ऐसा पहुँच मार्ग अतिक्रमण, बाधाओं एवं अवरोधों से मुक्त होगा। प्रस्तावित ले-आउट तक विद्यमान पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई निम्नानुसार होगी :-

क्र०सं०	ले-आउट-उपयोग प्रकार	पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (निर्मित क्षेत्र में)	पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (अनिर्मित क्षेत्र में)
1	आवासीय	06 मीटर	10 एकड़ तक 09 मीटर 10 एकड़ से अधिक 25 एकड़ तक 12 मीटर 25 एकड़ से अधिक 18 मीटर
2	गैर-आवासीय (व्यावसायिक एवं संस्थागत)	12 मीटर	10 एकड़ तक 12 मीटर 10 एकड़ से अधिक 25 एकड़ तक 18 मीटर 25 एकड़ से अधिक 24 मीटर

8. आंतरिक सड़के एवं पथ (Pathway) :-

ले-आउट के विकास में, आंतरिक सड़को की अपेक्षाओं को निम्नानुसार पूर्ण किया जायेगा :-

निर्मित क्षेत्र में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	अनिर्मित क्षेत्र में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	आवासीय उपयोग के लिये ले-आउट में आंतरिक सड़को की लम्बाई (मीटर में)	गैर-आवासीय उपयोग के लिये ले-आउट में आंतरिक सड़को की लम्बाई (मीटर में)
4	7.5	150	.
6	9	>150 से <300 तक	150 तक
7.5	12	>300 से <750 तक	>150 से <450 तक
9	18	>750 से <1200 तक	>450 से <1200 तक
9	24	>1200 से <1500 तक	>1200 से <1500 तक
9	30	>1500	>1500

नोट :-

1. "लूप स्ट्रीट" (Loop Street) की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर तथा अधिकतम लम्बाई 300 मीटर होगी। 600 मीटर तक की लम्बाई वाली "लूप स्ट्रीट" के लिये न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होगी।

2. पार्क/खुले स्थान से सटी हुयी सड़क तथा केवल एक और प्रस्तावित सटे हुये भू-खण्डों वाली सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 150 मीटर लम्बाई तक 6.0 मीटर तथा 300 मीटर लम्बाई तक 7.5 मीटर होगी।

3. 9 मीटर चौड़ी सड़क, जो सीधी व एक सिरे पर बंद डेड-एण्ड (Dead-End) हो, उसके लिये 7.5 मीटर के न्यूनतम अर्ध-व्यास के साथ नोड हेतु पर्याप्त क्षेत्र प्रदान किया जायेगा तथा ऐसी सड़क की अधिकतम लम्बाई 100 मीटर होगी। किन्तु 25 मीटर तक की लम्बाई वाली डेड-एण्ड सड़को में कल-डी-एस (Cul-De-Sac) की आवश्यकता नहीं होगी।

4. ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 आवास योजनाओं के प्रकरण में आंतरिक सड़के (वाहन चलने योग्य-मोटरबल) न्यूनतम 6 मीटर चौड़ी होगी। तीन मीटर चौड़ी सड़क की अधिकतम लम्बाई 50 मीटर और 4.5 मीटर चौड़ी सड़क की अधिकतम लम्बाई 80 मीटर होगी। किसी भी आवासीय इकाई की 9 मीटर चौड़ी सड़क से दूरी 150 मीटर से अधिक नहीं होगी।

5. अन्य सड़क की चौड़ाई महायोजना/क्षेत्रीय योजना में निर्धारित चौड़ाई के अनुसार होगी।

6. भवन के खुले क्षेत्र (Open Area) (भवन के छत से ढके भाग के अतिरिक्त) की दर 20 रु0 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ड) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (1)

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड, शामली, मुजफ्फरनगर, एवं झाँसी ।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन व फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.) के मानक निम्नवत होंगे—

क्र० स०	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (F.A.R.)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची 1 के अनुसार जनपदों में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में (मीटर)
1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) (i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500. 2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना ,रैनबसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केंद्र शॉपिंग माल्स, व्यावसायिक केंद्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक ,सिनेमा ,मल्टीप्लेक्स,	40	1.50	24	18
	(iii) वेयर हाउस ,गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	10
5.	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6.	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
(i)	सामुदायिक केंद्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10

1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
(FAR) धर्मशाला, लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल का		40	2.50	15	10
(FAR) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, का शीतगृह		40	0.50	10	6
7. कार्यालय भवन					
सरकारी ,अर्धसरकारी ,कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन		40	2.00	30	15
8. क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स ,शूटिंग रेंज ,सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र		20	0.40	15	10
9. नर्सरी		10	0.50	6	6
10. बसस्टेशन ,बस डिपो ,कार्यशाला		30	2.00	15	12
11. फार्महाउस		10	0.15	10	6
12. डेरीफार्म		10	0.15	10	6
13. मुर्गा ,सूअर ,बकरी फार्म		20	0.30	6	6
14. ए०टी०एम०		100	1.00	6	6

(सेट बैक) (Set Back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (side) मीटर	पीछे (Reer) मीटर	लैंड स्केपिंग (landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

झ (पार्किंग स्थान)

क्रमांक	भवन/ भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत)(FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत)(FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत)(FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत)(FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत)(FAR) का
6	लॉज ,अतिथि गृह ,हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल ,नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत)(FAR) का
8	सिनेमा ,मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत)(FAR) का

(ज) अग्निशमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिंग

(1) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा – संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू- आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारो तरफ बाउन्ड्री दिवारों के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(2) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 2-1 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से०मी०, राईजर अधिकतम 19 से०मी०, एक फ्लाइंट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(3) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(4) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जाएगा।

(5) उपरोक्त भवनों हेतु अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(6) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति , फ़र्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था , निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फ़ायर मैन स्विच युक्त फ़ायर लिफ्ट, वेट राइज़र डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि—

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाईवोल्टेज लाईन 33,000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर की स्थापना

क. मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी/भू-स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (R.W.A.) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी ।

ख. जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे ।

ग. यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए ।

घ. जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

ङ. सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा ।

च. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायु ब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

छ. अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापणीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रतिवर्ष जमा कराने होंगे ।

ज—शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें**क. आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन**

सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी !

ख. व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन

सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी ।

- ग. (1) भूमि की प्लानिंग—भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लानों में बाँटना ।
 (2) भूमि विकास—भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैकट हाल आदि ।
 (3) भूमि का उपभोग—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे—निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर०सी०सी०पाईप आदि ।
 (4) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग—(1) से (4) तक, सूची (1) के अनुसार जनपदों में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी !

घ. पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी ।

- इ. स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।
- च. बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा-क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी।
- छ. यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 25% होंगी।
- ज. उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जाएगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fee) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा-248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।
- झ. सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णतः प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में 20% रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।
- ञ. सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 20 रुपये प्रति रनिंग मीटर व अन्य जनपदों में 10 रुपये प्रति रनिंग मीटर होंगी।
- ट. सूची (1) के अनुसार भवन के खुले क्षेत्र (ओपन एरिया) (भवन के छत से ढके भाग के अतिरिक्त) की दर 40 रु0 प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में 20 रु0 प्रति वर्ग मीटर होंगी।

नोट—शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी—

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1. स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।
2. ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।
3. कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।
4. कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।
5. अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।
6. अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।
7. अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8. अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शों के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9. जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10. अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11. अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12. आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14. यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृति नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभ्यपक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1. भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश, सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। 200 मीटर से 5-1 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जाएगी।

2. भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3. भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेस-मेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4. निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी० की परिधि में 30 मी० से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा ।

5. उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियों (F.A.R.) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है ।

6. उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा ।

7. मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेस-मेंट अनुमन्य होंगे ।

8. इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी ।

9. इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है ।

क— अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे ।

ख—पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे । परियोजना का डिजाइन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जाएगा ।

ग—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा ।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हमीरपुर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा । जो अंकन 1,000.00 रुपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा । इस उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी ।

अजीत कुमार,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम, मण्डल,
बांदा ।

कार्यालय, जिला पंचायत फतेहपुर

02 जून, 2026 ई0

"खनिज परिवहन शुल्क वसूली मानक उपविधि के अनुरूप संशोधित उपविधि"

सं0 749/नौ-नाजिर-2026-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239(2)(ज)(ट) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत जिला पंचायत, फतेहपुर अपने ग्रामीण क्षेत्रों(नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत को छोड़कर) में पूर्व से स्थापित एवं इस उपविधि के लागू होने के बाद खनिज परिवहन शुल्क वसूली मानक उपविधि बनायी है। यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियाँ

1- यह उपविधि जिला पंचायत फतेहपुर अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा-पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी आदि को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन यथा पशु चालित वाहन यथा ट्रक्टर-ट्रॉली, ट्रक/डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका या यान्त्रिक नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2- परिभाषाएं — इन उपविधियों में—

2.1 अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) से है।

2.2 जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा- 17(4) के अनुसार संगठित जिला पंचायत फतेहपुर से है।

2.3 ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा-2(10) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है।

2.4 अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत फतेहपुर से है।

2.5 अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से है।

2.6 सार्वजनिक मार्ग का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने-जाने का जन-साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो, से है।

2.7 नदी मार्ग का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिये प्रयोग से है।

2.8 पशु गाड़ी का तात्पर्य बैल या भैंसा या ऊंट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है।

2.9 स्थान का तात्पर्य उस स्थल से है जो कि किसी खनिज उद्गम स्रोत, खादान (क्वेरीज), सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नियत किया जाय।

2.10 शुल्क का तात्पर्य इस उपविधि के लिए निम्न प्रकार से है—

(प) यदि जिला पंचायत फतेहपुर इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये शुल्क वसूली के विकल्प में शुल्क वसूली विभागीय प्रकार यानी जिला पंचायत में नियुक्त कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा किये जाने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या-6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवं निर्धारित शुल्क से है।

2.11 खनिज उद्गम स्थल से तात्पर्य बालू, मौरंग, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड-समस्त खनिज पट्टे जनपद फतेहपुर एवं पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद) गिट्टी, भस्सी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल से है।

2.12 मण्डलायुक्त का तात्पर्य राजस्व संहिता के अध्याय-तीन (परिषद और राजस्व अधिकारी) की धारा-11 के अधीन उस मण्डल (डिवीजन) के लिये नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) से है जिसके भीतर जिला पंचायत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो।

3. यह उपविधियां ग्रामीण क्षेत्र के पर्वतीय स्थलों, खदानों तथा नदियों या उसके तट, नालों, पोखरो, क्वेरीज (खदान) आदि से निकलने वाले खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग में खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा— पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी इत्यादि को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य में सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशुचालित वाहन या ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक, डम्पर, बैल गाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या मानव या यन्त्र चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको यथा स्थिति उपविधि संख्या 2.10 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत फतेहपुर द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिक को अदा करना होगा।

5 जिला पंचायत शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदार द्वारा करा सकती है। शुल्क वसूली ठेका अनिवार्यतः 01 वर्षीय होगा। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6. जिला पंचायत फतेहपुर द्वारा लिये जाने वाले खनिज परिवहन शुल्क की दरे निम्नवत् होगी।

- 1—पशुओं द्वारा खीचे जाने वाली गाड़ी 20.00 रु० प्रति फेरी
- 2—मानव चालित नाव 50.00 रु० प्रति फेरी
- 3—मशीन/मोटर चालित नाव 100.00 रु० प्रति फेरी
- 4—ट्रैक्टर ट्रॉली (2 चक्का ट्रॉली) 100.00 रु० प्रति फेरी
- 5—ट्रैक्टर ट्रॉली (4 चक्का ट्रॉली या अधिक) 200.00 रु० प्रति फेरी
- 6—ट्रक वाहन का प्रकार—
 - (i) ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स 6 चक्का तक 400.00 रु० प्रति फेरी
 - (ii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 10 से 18 चक्का) 500.00 रु० प्रति फेरी
 - (iii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 18 से अधिक चक्का) 600.00 रु० प्रति फेरी

7. उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। बढ़ोतरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यह बढ़ी दरे अगले वित्तीय वर्ष उस नीलामी अवधि हेतु उपयोग होगी, जिसके नीलामी में बढ़ी दरों के आधार पर नीलामी के रिजर्व मूल्य में आवश्यक वित्तीय प्रभाव जोड़ा जायेगा। 03 वर्षों के कार्यकाल की गणना इन उपविधियों के गजट प्रकाशन की जगह उनके प्रभावी होने की तिथि के प्रारम्भ से 03 वर्ष तक की जायेगी।

8(क) यदि खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो ई-आक्शन पोर्टल के माध्यम से नीलामी पद्धति से दिया जायेगा, जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो प्रचलित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों के प्रादेशिक संस्करण में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत द्वारा खनिज परिवहन की नीलामी प्रक्रिया से पूर्व बकायेदारों की सूची जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही ई-आक्शन के नोटिस के साथ सम्बन्धित ई-आक्शन पोर्टल तथा जनपद के एनआईसी पोर्टल पर भी अनिवार्यतः अपलोड की जायेगी। बकायेदार को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी की तिथि के पूर्व तक पूर्ण धनराशि जमा कर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकें। बकायेदारों की सूची जनपद के दो सर्वाधिक प्रचलन के अखबार में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा।

9. ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ई-नीलामीदाता (व्यक्ति/फर्म/जे०वी०) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र (टी4) एवं निम्नानुसार रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य हैसियत से सम्बन्धित निम्नवत् अभिलेख दिया जा सकेगा

(क)- नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र (टी5)

अथवा

(ख)- नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी जिला पंचायत के पक्ष में बैंक गारन्टी पत्र।

अथवा

(ग)- नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य पोस्ट आफिस जारी एन०एस०सी०/के०वी०पी० जो जिला पंचायत के पक्ष में बन्धक हो।

अथवा

(घ) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए जिनके एक चौथाई (25 प्रतिशत के समतुल्य किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी एफ०डी०आर० जो जिला पंचायत के पक्ष में बन्धक हो।

10- सर्वोच्च नीलामीदाता द्वारा निम्नानुसार धनराशि अनुबन्ध करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में जमा की जानी है :-

(क)स्वीकृत बोली की धनराशि रु० 01 करोड़ तक होने पर अनुबन्ध हेतु बोली की सम्पूर्ण धनराशि ई०एम०डी० को समायोजित करते हुए।

(ख) स्वीकृत बोली की धनराशि रु० 01 करोड़ से ऊपर होने पर अनुबन्ध हेतु 01 करोड़+01 करोड़ से ऊपर की धनराशि का 25 प्रतिशत

(ग) स्वीकृत बोली की धनराशि 05 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में जिला पंचायत फतेहपुर में ठेकेदार को अनुबन्ध के समय जमा करना होगा, जो ठेकेदार द्वारा पूरे वर्ष संतोषजनक कार्य करने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।

शेष बोली धनराशि दो बराबर किस्तों में प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा कराना अनिवार्य होगा। (ई०एम०डी० समायोजित करते हुए अन्तिम किस्त के रूप में)

अंतिम निर्धारित तिथियों तक किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त कर पूर्व में जमा धनराशियां जब्त हो जायेगी एवं पुनः ठेका छोड़ने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार (ठेका छोड़ने वाले व्यक्ति) से की जायेगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियत समय प्रदान करने के उपरान्त बकाया धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो जिला पंचायत उस धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल कर सकती है।

11- ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12. जिला पंचायत फतेहपुर के अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकृत कार्मिक ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपण को जिला पंचायत में वापस करना अनिवार्य होगा।

13. ठेकेदार वसूली स्थल पर (सहज दृश्य स्थान पर) एक 8 x 4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14. इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

15. ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी कराया जायेगा, जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16. शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद बही रखनी होगी, जिसको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।

17. ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता या जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य होंगे।

18. ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत का होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष जिला पंचायत में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के 01 सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को संदर्भित कर दिया जायेगा। जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19. ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं कर/राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जाँच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने या नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष जिला पंचायत का होगा, जो कि उभय पक्षों या बाध्यकारी होगा।

20— (क) गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेके किये जाने पर यदि जिला पंचायत की आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत के किसी आदेश/खनन/परिवहन उपविधि/शासनादेशों/शर्तनामों/नीलामी की धनराशि जमा करने में किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत घटना/समय की तिथि पर अविलम्ब लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल/फोन/वाट्सऐप के माध्यम से देगा, जिस पर ई-मेल जारी/प्राप्त किये जाने से 07 दिवस में उत्तर देना अनिवार्य होगा। जिस पर जिला पंचायत से 03 कार्य दिवसों में निर्णय लेना होगा। संतोषजनक उत्तर न होने पर लिखित आदेश द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगी।

21— वसूलीकर्ता उद्गम स्थलों में ही बिना बैरियर लगाये शुल्क की वसूली की जायेगी। वसूली स्थल उद्गम स्थल/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेगे, जहाँ पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। खनिज उद्गम स्थल का अर्थ बालू/मौरंग/सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड समस्त स्वीकृत खनिज पट्टे जनपद फतेहपुर एवं पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी/भस्सी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल में है। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर, रस्सी लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गों पर वसूली नहीं की जायेगी।

22. वसूली स्थान पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23— इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्स सैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी के अभिवहन/परिवहन के समय वाहन मालिक/वाहन चालक/पशुगाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत खनिज परिवहन शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति से वसूली हेतु नियत अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही की जायेगी।

24. जिला पंचायत फतेहपुर को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुयी आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की एवं 5 प्रतिशत पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। एतदर्थ सम्बन्धित विभाग अपनी कार्य योजना जिला पंचायत फतेहपुर को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।

दण्ड

जिला पंचायत फतेहपुर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम— 1961 (यथा संशोधित) की धारा—240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म/जे0वी0 या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थदण्ड में दण्डनीय होगा जो रु० 1000/—(रु० एक हजार) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसने अपराधी अपराध करता रहा है. रु0 50/—(रु० पचास) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो 03 मास तक का हो सकेगा।

निष्कर्ष

संशोधित उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेगी।

ह0 अस्पष्ट
आयुक्त
प्रयागराज मण्डल
प्रयागराज

कार्यालय, जिला पंचायत, फतेहपुर

प्रचलित उपविधि के दरों में संशोधन

सं० 4862(2)/23-12-20212-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा—239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 शासनादेश संख्या—1152/23-2-2017- 62जी /17 दिनांक 04 अप्रैल 2018 के अनुपालन में जिला पंचायत, फतेहपुर ने अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत (नगर पालिका, नगर पंचायत नोटिफाइड एरिया, यू0पी0एस0आई0डी0 एरिया को छोड़कर) शेष ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित फैक्ट्रियों, मिलों, कारखानों, सूक्ष्म/कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं भारी उद्योगों को नियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित उपविधि संख्या—5509/23-77-85, दिनांक 8 अगस्त 1985 एवं उपविधि संख्या—4971/23-78/2005, दिनांक 03 अगस्त 2005 के अन्तर्गत उपविधियों की प्रचलित दरों में निम्न प्रकार संशोधन/परिवर्धन प्रस्तावित किया

गया है जो उ0प्र0 राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा। यदि किसी व्यक्ति अथवा व्यवसायी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति प्रकाशित होने के तिथि से 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दे सकते हैं। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी—

मिल/कारखाना/फैक्ट्री/विभिन्न प्रकार व्यवसाय के उप विधियों की संशोधित दरों का विवरण

क्र0 सं0	मद/व्यवसाय का नाम/ कारखाने का नाम	पुरानी दरें		संशोधित दरें	
		प्रचलित दरें	विलम्ब शुल्क	प्रस्तावित दर	विलम्ब शुल्क
1	2	3	4	5	6
			प्रति माह	प्रति वर्ष	प्रति माह
1.	ईट भट्ठा	10,000.00 प्रति वर्ष	1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 2000/इसके बाद प्रति माह 1000/—	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
2.	सीमेन्ट से बनने वाली इण्टरलाकिंग ईट आदि से सम्बन्धित कारखाना	नया	—	5000 प्रति वर्ष	500/प्रति माह
3.	मेला बाजार कृषि प्रदर्शनी, औद्योगिक प्रदर्शनी	10,000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
4.	पशु बाजार/सुअर बाजार/बकरी /गदहा बाजार	8,000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
5.	पशु मेला/सुअर मेला/बकरी/ गदहा मेला (प्रत्येक मेला 15 दिन से अधिक नहीं)	प्रति मेला 10000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
6.	प्रत्येक धान मशीन चक्की पर	600.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 प्रति वर्ष	100/प्रति माह
7.	प्रत्येक आइश कैंन्डी मशीन पर	500.00 रुपये	10/प्रति माह	2000.00 प्रति वर्ष	100/प्रति माह
8.	प्रत्येक आटा मशीन के लिये	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 प्रति वर्ष	50/प्रति माह
9.	प्रत्येक तेल कोल्हू के लिये	300.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 प्रति वर्ष	100/प्रति माह
10.	प्रत्येक आरा मशीन के लिये	5000.00 रुपये	10/प्रति माह	10,000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह
11.	प्रत्येक रूई मशीन के लिये	500.00 रुपये	10/प्रति माह	10,00.00 प्रति वर्ष	100/प्रति माह
12.	प्रत्येक पाइलेशर मशीन के लिये	5000.00 रुपये	10/प्रति माह	5000.00 प्रति वर्ष	500/प्रति माह
13.	प्रत्येक दाल मशीन के लिये	1000.00 रुपये	10/प्रति माह	20,00.00 प्रति वर्ष	100/प्रति माह
14.	प्रत्येक मसाला मशीन के लिये	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 प्रति वर्ष	100/प्रति माह

1	2	3	4	5	6
			प्रति माह	प्रति वर्ष	प्रति माह
15.	प्रत्येक खण्डसारी उद्योग/गन्ना कोल्हू पावर द्वारा	600.00 रुपये	10/प्रति माह	2000.00 प्रति वर्ष	100/प्रति माह
16.	ट्राली थ्रेशर बनाने का कारखाना	5000.00 रुपये	10/प्रति माह	10000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह
17.	उपरोक्त के अतिरिक्त पावर से संचालित मशीनों द्वारा अन्य चीजों के उत्पादन पर	2500.00 रुपये	10/प्रति माह	3000.00 प्रति वर्ष	100/प्रति माह
18.	राइस मिल,फ्लोर मिल	8000 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
19.	दाल मिल	8000 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
20.	कोल्ड स्टोरेज	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
21.	आइस फैक्ट्री	5,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	10,000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह
22.	सरिया तथा बनाने की मिल	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
23.	साबुन बनाने की फैक्ट्री	5,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	10,000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह
24.	मशीनो के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री	5,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	10,000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह
25.	चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की मिल	5,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	10,000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह
26.	गत्ते की पैकिंग बनाने की मिल	8000 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
27.	रबर प्लास्टिक के डिब्बे बनाने की मिल	5,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	10,000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह
28.	दूध का पाउडर तथा दूध से अन्य सामग्री बनाने की मिल	8000 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
29.	पत्थर की रोडी तोड़ने की मिल (क्रेशर)	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
30.	सुर्खी पीसने की मिल	5,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	10,000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह
31.	रिफाइनफोस्ड, सीमेन्ट कांक्रिट हयूमपाइप बनाने की मिल	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
32.	टेलीविजन फैक्ट्री	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
33.	सूत मिल व रेशम मिल (प्रत्येक)	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह

1	2	3	4	5	6
			प्रति माह	प्रति वर्ष	प्रति माह
34.	प्लाइवुड व सनमाइका बनाने की फैक्ट्री	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
35.	चमड़े की टेनिंग फैक्ट्री	5,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	10,000.00 प्रति वर्ष	1000/प्रति माह
36.	बटन बनाने की फैक्ट्री	2,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	5000.00 प्रति वर्ष	500/प्रति माह
37.	मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री	2,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	5000.00 प्रति वर्ष	500/प्रति माह
38.	माचिस बनाने की फैक्ट्री	2,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	5000.00 प्रति वर्ष	500/प्रति माह
39.	टिन की चादर बनाने की फैक्ट्री	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
40.	खाद फैक्ट्री	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
41.	सीमिन्ट फैक्ट्री	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
42.	चावल की पालिश व खरी से तेल उत्पादन फैक्ट्री	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
43.	एल्मूनियम/किसी भी धातु के बर्तन बनाने की फैक्ट्री	8000 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 प्रति वर्ष	1500/प्रति माह
44.	अन्य बड़ी फैक्ट्री (जो सूची में नहीं है।)	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 रुपये	1500/प्रति माह
45.	अन्य छोटी फैक्ट्री (जो सूची में नहीं है।)	5,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह
46.	केवल डीजल पम्प	5000.00	1000/प्रति माह	7500.00	500 प्रति माह
47.	केवल ई०वी० चार्जिंग स्टेशन	नया	—	5000.00	500 प्रति माह
48.	केवल सी०एन०जी० पम्प	नया	—	10000.00	1000/प्रति माह
49.	पेट्रोल पम्प (डीजल के साथ)	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह	15,000.00 रुपये	1500/प्रति माह
50.	पेट्रोल पम्प (सी०एन०जी० एवं ई०वी० चार्जिंग के साथ)	नया	—	25,000.00 रुपये	2500/प्रति माह
51.	पेट्रोल पम्प (सी०एन०जी० के साथ)	नया	—	20,000.00 रुपये	2000/प्रति माह
52.	गैस एजेन्सी	500 रुपये	10/प्रति माह	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह
53.	मैरेज हाल (ए०सी० के साथ)	नया	—	15,000.00 रुपये	1500/प्रति माह
54.	मैरेज हाल (बिना ए०सी० के साथ)	नया	—	10,000.00 रुपये	1000/प्रति माह

1	2	3	4	5	6
			प्रति माह	प्रति वर्ष	प्रति माह
55.	सोना चांदी आभूषण छोटी दुकान	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1,000.00 रुपये	100/प्रति माह
56.	सोना चांदी आभूषण बनाने व मरम्मत	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
57.	ज्वेलरी शाप	नया	—	10000.00	1000/प्रति माह
58.	मेडिकल स्टोर/प्रेक्टिटर दवा बेचने की दवा	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
59.	पैथालाजी सेन्टर	नया	—	2000.00	100/प्रति माह
60.	नसिंग होम	नया	—	15000.00	1500/प्रति माह
61.	लकड़ी के टाल की दुकान	500.00 रुपये	10/प्रति माह	2000.00 रुपये	100/प्रति माह
62.	लकड़ी की टाल धर्मकॉटा के साथ	नया	—	1,0000.00 रुपये	1000/प्रति माह
63.	साइकिल की बिक्री की दुकान	400.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
64.	साइकिल की मरम्मत/पंचर	50.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
65.	कोयले की दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
66.	लोहे की छोटी दुकान	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
67.	लोहे की बड़ी दुकान	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
68.	बिजली की मोटर,पंखो व बिजली के सामान आदि के व्यवसाय पर	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
69.	इमारती लकड़ी की दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
70.	जूते की दुकान	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
71.	सोफा सेट फर्नीचर आदि की दुकान	400.00 रुपये	10/प्रति माह	2000.00 रुपये	100/प्रति माह
72.	मिट्टी का तेल,डीजल मोबिल आयल की फुटकर दुकान (अलग अलग तीनों के लिये)	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
73.	कार जीप,ट्रैक्टर आदि के पार्ट्स की दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह

1	2	3	4	5	6
			प्रति माह	प्रति वर्ष	प्रति माह
74.	गिट्टी पत्थर सीमेन्ट पाइप जंगला सीनेटरी फिटिंग की दुकान (अलग अलग)	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
75.	पावर थ्रेशर बनाने या बेचने तथा लोहे की जाली दरवाजा आदि बनाने की दुकान	500.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
76.	मोरम, बालू चूना सुर्खी बांस बल्ली लाठी की दुकान (अलग अलग)	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
77.	कपड़े की फुटकर बिक्री की दुकान	250.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
78.	कपड़े की छोटी दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
79.	कपड़े की बड़ी दुकान	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
80.	पुस्तक कापी स्टेशनरी की दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
81.	बर्तन की दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
82.	चाय लस्सी शर्बत या सोडावटर/लिमका आदि	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
83.	चाय/पान की दुकान	100.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
84.	जलपान तथा पान की सम्मिलित दुकान	150.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
85.	बिसातखाना की दुकान	100.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
86.	कृषि सम्बन्धी मशीनरी व सभी प्रकार की मशीनरी की दुकान पर	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
87.	धी, तेल या दुध की दुकान	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
88.	गल्ला, किराना की छोटी दुकान जिसमें 10 कुन्तल से कम हो	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
89.	गल्ला, किराना की बड़ी दुकान जिसमें 10 कुन्तल से अधिक हो	300.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
90.	अन्य व्यवसाय (छोटे मद के)	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
91.	अन्य व्यवसाय (बड़े मद के)	500.00 रुपये	10/प्रति माह	5000.00 रुपये	500/प्रति माह
92.	किराना की बड़ी दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह

1	2	3	4	5	6
			प्रति माह	प्रति वर्ष	प्रति माह
93.	किराना की छोटी दुकान	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
94.	जनरल स्टोर/चश्मा की दुकान	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
95.	टीन के बक्सा, अलुमिनियम, बर्तन टीन चादर	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
96.	सिलाई मशीन (टेलरिंग हाउस बिक्री)	400.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
97.	कपड़े की सिलाई एक होने पर	100.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
98.	कपड़े की सिलाई मशीन एक से अधिक होने पर	300.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
99.	घड़ी की दुकान बेचने व मरम्मत होने पर	150.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
100.	लाउडस्पीकर, बैट्री मरम्मत, चार्जिंग सम्बन्धित सामान	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
101.	समस्त प्रकार की बीज की दुकान	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
102.	बाल काटने की सैलून की दुकान	100.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
103.	केवल मोटर साइकिल मरम्मत की दुकान	नया	—	1000/—	100/प्रति माह
104.	कर जीप ट्रैक्टर ट्रक की मरम्मत दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	5000.00 रुपये	500/प्रति माह
105.	रसायनिक खादें, जिसमें सहकारी गोदाम सम्मिलित न हो	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
106.	हथियार, अग्नेयास्त्र, आतिशबाजी की दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	2000.00 रुपये	100/प्रति माह
107.	पत्थर एवं पत्थर के बने सामान	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
108.	रुई बेचने की दुकान	150.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
109.	रेडीमेड/होजरी अथवा काकरी की दुकान	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
110.	सीमिन्ट की दुकान	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह

1	2	3	4	5	6
			प्रति माह	प्रति वर्ष	प्रति माह
111.	टायर बेचने के साथ में हवा भरने की दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
112.	डम्प मौरंग	नया	—	10000/—	1000/प्रति माह
113.	नौटंकी कम्पनी, खेल तमाशा तथा मनोरंजन/डी0जे0	400.00 रुपये	10/प्रति माह	2000.00 रुपये	100/प्रति माह
114.	मेन्स पालर	नया	-	2000.00	100/प्रति माह
115.	फल अथवा सब्जी की स्थायी दुकान	100.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
116.	दूध खरीद जनपद/कस्बों को भेजने पर	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
117.	डीजल इंजन अथवा बिजली की मोटर के बिक्री की दुकान पर	500.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
118.	ट्रंजिस्टर बेचने व मरम्मत पर	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
119.	लोहे की खराद मशीन पर	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
120.	गैस/बिजली द्वारा वेल्डिंग पर	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
121.	लकड़ी की खराद मशीन पर	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
122.	कबाड की दुकान	500.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
123.	कपड़े की रंगाई दुकान पर	100.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
124.	फोटोकापी व फोटो स्टेट पर	250.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
125.	नमकीन/बेकरी बेचने व बनाने की दुकान	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
126.	टेन्ट कुर्सी मेज आदि किराये पर देने की दुकान	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
127.	बिजली डेकोरेशन की दुकान	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
128.	ट्रैक्टर ट्राली द्वारा किराये पर सामान आदि ढोने की दुकान पर	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह
129.	गल्ला अथवा अन्य मौसमी चीजें जैसे प्याज कुम्हड़ा आलू आदि के व्यवसाय के क्रय-विक्रय के व्यवसाय पर	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	100/प्रति माह

1	2	3	4	5	6
			प्रति माह	प्रति वर्ष	प्रति माह
130.	खोया के व्यवसाय पर	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
131.	गल्ला धान आदि को आढ़त किसी प्रकार की होने पर	1000.00 रुपये	10/प्रति माह	2000.00 रुपये	100/प्रति माह
132.	प्रेस या मशीन से कागज की छपाई पर	1000.00 रुपये	10/प्रति माह	2000.00 रुपये	100/प्रति माह
133.	दो पाहिया वाहन/चार पहियों के बिक्री की एजेन्सी की दुकान पर	2000.00 रुपये	10/प्रति माह	5000.00 रुपये	50/प्रति माह
134.	दुध से क्रीम मक्खन की मशीन पर	500.00 रुपये	10/प्रति माह	1000.00 रुपये	50/प्रति माह
135.	जन सेवा केन्द्र	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
136.	मछली/बकरा/गोस्त की दुकान पर	500.00 रुपये	10/प्रति माह	2000.00 रुपये	100/प्रति माह
137.	बाध की दुकान पर	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
138.	प्लास्टिक के सामान आदि पर	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
139.	जुगाड मेल/माल ढोने वाले तीन पहिया वाहनों की बिक्री	500.00 रुपये	10/प्रति माह	5000.00 रुपये	500/प्रति माह
140.	शान रखने की दुकान पर	200.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
141.	सिनेमा घरों पर	2000.00 रुपये	10/प्रति माह	5000.00 रुपये	500/प्रति माह
142.	तेल डिपो किसी प्रकार होने पर	2000.00 रुपये	10/प्रति माह	2000.00 रुपये	100/प्रति माह
143.	इलेक्ट्रानिक की दुकान पर	300.00 रुपये	10/प्रति माह	500.00 रुपये	50/प्रति माह
144.	देशी शराब की दुकान	2000.00 रुपये	10/प्रति माह	3000.00 रुपये	100/प्रति माह
145.	अंग्रेजी शराब की दुकान/कम्पोजिट	3000.00 रुपये	10/प्रति माह	5000.00 रुपये	500/प्रति माह
146.	ढाबा/रेस्टोरेन्ट (बिना ए0सी0)	नया	—	5000/—	100/प्रति माह
147.	ढाबा/रेस्टोरेन्ट (ए0सी0के साथ)	नया	—	10000/—	1000/प्रति माह
148.	छोटे ढाबे/रेस्टोरेन्ट	नया	—	2000/—	100/प्रति माह
149.	छोटी हलवाई दुकान	नया	—	500/—	50/प्रति माह
150.	बड़ी हलवाई दुकान	नया	—	1000/—	100/प्रति माह

1	2	3	4	5	6
			प्रति माह	प्रति वर्ष	प्रति माह
151. फर्म पंजीयन (अन्य विभागो हेतु)	500.00	10/प्रति माह	5000.00 रुपये	500/प्रति माह	
152. धर्मकॉटा (तौल केन्द्र)	नया	—	2000 रुपये	100/प्रति माह	
153. सोलर पैनल/बैट्री की दुकान	नया	—	2000.00	100/ प्रति माह	

दण्ड

जिला पंचायत फतेहपुर उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो रू0 1000 (एक हजार रू0) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ—दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रू0 50.00 (पचास रुपये) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थ—दण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त संशोधित दरों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित दरें निरस्त हो जायेंगी।

सौम्या अग्रवाल,
आयुक्त,
प्रयागराज मण्डल,
प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 13, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बस्ती

नगर पालिका परिषद बस्ती (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024

30 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 2958/न०पा०प०ब०/शासनादेश संख्या-925/नौ-9-2025-ई-1853096, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 09 मई 2025 नगर पालिका परिषद निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) मानक उपविधि 2025 लागू किये जाने के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) उपविधि निर्मित किये जाने की शक्तियों का प्रयोग करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किये जाने की प्रक्रिया एवं शुल्क आदि की व्यवस्था हेतु प्राप्त निर्देश के अनुपालन में वर्तमान में नगर पालिका परिषद, बस्ती में प्रभावी दर जिसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश सरकारी गजट 11 जनवरी 2020 में संख्या 6142/कर-अनुभाग/न०पा०प०ब०/ दिनांक 30 दिसम्बर 2019 को प्रकाशित कराया गया था को विखण्डित करते हुये प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जन सामान्य हेतु व्यवस्था की सुगमता को दृष्टिगत नगर पालिका परिषद, बस्ती में कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन के लिये प्रक्रिया एवं शुल्क में एकरूपता स्थापित करने हेतु सुसंगत एवं मानक व्यवस्था निर्मित किये जाने

के प्रयोजनार्थ उपरोक्त शासनादेश के साथ संलग्न उपविधि के प्रस्तर 6(2) में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में मा0 बोर्ड की बैठक दिनांक 17-7-2025 में प्रस्ताव संख्या- 05 (8)(ठ) प्रस्तुत किया गया जिस पर मा0 पालिका बोर्ड (सदन) सर्वसम्मत से ध्वनिमत से स्वीकृत करते हुये नियमानुसार प्रकाशन एवं आपत्ति प्राप्त करते हुये आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त गजट प्रकाशित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसके क्रम में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा. 301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु हिन्दी दैनिक समाचार.पत्र शमर उजाला में दिनांक 12 नवम्बर 2025 व शहिन्दुस्तान में दिनांक 13 नवम्बर, 2025 उपविधि के सम्बन्ध सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराते हुये आपत्ति आमंत्रित किया गया। आपत्ति हेतु निर्धारित समयावधि 30 दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं है। मा0 बोर्ड द्वारा उक्त उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया है। नियमावली का प्रारूप निम्नवत है :-

नगर पालिका परिषद बस्ती (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2024

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद बस्ती (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2024 कही जायेगी। (2) यह नगर पालिका परिषद बस्ती सीमान्तर्गत में लागू होगी। (3) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पालिका परिषद बस्ती में प्रवृत्त/प्रभावी होगी।
परिभाषायें	2	(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में— (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है। (ख) 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर पालिका परिषद बस्ती सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये किया जा रहा हो। (ग) 'निर्धारण सूची' का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है। (घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है। (3) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथा स्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है। (च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्तारण कर और स्वच्छता कर से है। (2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

निर्धारण सूची में
संशोधन और परिवर्तन
का कारण

3

(1) अधिनियम, 1916 की धारा-144 के अधीन नगर पालिका परिषद बस्ती कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारण वश कराधान के लिये दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा।

(3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा—

(एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा,

(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा,

(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा,

(चार) पंजीकृत दान-पत्र द्वारा,

(पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा।

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी—

(एक) नगर पालिका परिषद बस्ती सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,

(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0,0) क्षेत्र की सम्पत्ति,

(तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो।

(चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किये गये सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5) भवन में किये गये परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

सूची में संशोधन और 4
परिवर्तन की प्रक्रिया

(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर पालिका परिषद बस्ती द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर पालिका परिषद बस्ती के अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जायेगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र-1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो, के 60 दिवसों के भीतर अधिशासी अधिकारी को अनिवार्य रूप से देगा। अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर पालिका परिषद बस्ती को प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर पालिका परिषद बस्ती द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रू0 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को आन लाइन भुगतान करेगा और यथा स्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को उपलब्ध करायेगा—

क्र0 स0	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख, दान.पत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	✓	✓

सूची में संशोधन और 4
परिवर्तन की प्रक्रिया

4	पंजीकृत विक्रय-विलेख या दान पत्र/विभाजन विलेख (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	-	✓	-
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	-	-
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	-	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	-	-	✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	-
9	पूर्व में जारी नामान्तरण-पत्र की प्रतिलिपि, यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् नगर पालिका परिषद बस्ती द्वारा नियत बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

सूची में संशोधन और 4
परिवर्तन की प्रक्रिया

(घ) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जायेगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में प्रारूप-3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी।

(3) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर पालिका परिषद बस्ती क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर पालिका परिषद बस्ती द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर पालिका परिषद बस्ती क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचारपत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किये जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुये पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (3) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाये जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुये निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिये प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (3) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिशासी अधिकारी को अग्रसारित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किया जायेगा।

सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया	4	(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के सम्बन्ध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-2 के खण्ड (11) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किये जा सकेंगे। (ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर 'अध्यासी' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जायेगा। (ग) अध्यासन के आधार पर किये गये कर निर्धारण के विषय में वार्षिक कर निर्धारण सूची पृथक् से तैयार की जायेगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जायेगी।
हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता	5	(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना अधिशासी अधिकारी को देंगे। (2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, अधिशासी अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा। (3) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते हैं, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा। (4) प्रत्येक व्यक्ति जो अधिशासी अधिकारी को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता। (5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हों तो नगर पालिका परिषद बस्ती द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। (6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक अधिशासी अधिकारी को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराये जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना

6

(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर पालिका परिषद बस्ती को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा। प्रभारों की दरें निम्नवत् होंगी—

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होंगी:—

क्र०सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	क्र०सं०
1	1000 तक	500 /—
2	1001—2000 तक	1,000 /—
3	2001—3000 तक	150 /—
4	3000 से अधिक	2,500 /—.

(ख) नियम-3के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी—

क्र०सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की
1	रु० 5 लाख तक	1,000 /—
2	रु० 5 लाख से रु० 10 लाख तक	2,000 /—
3	रु० 10 लाख से रु० 15 लाख तक	3,000 /—
4	रु० 15 लाख से रु० 50 लाख तक	5,000 /—
5	रु० 50 लाख से ऊपर	10,000 /—

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1916 की धारा.92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बोर्ड की स्वीकृति/अनुमति से किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/ अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम—(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद बस्ती से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जायेगा।

- आदेश का संशोधन या 7 जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से
निरस्तीकरण सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन
करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के
आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर
देते हुये पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित
करते हुये संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है
अथवा परिवर्तित कर सकता है।
- अपील 8 अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस
दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर
प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा- 160 के अधीन अपील कर सकता
है।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बस्ती

प्रपत्र- 1

(नियम- 4 (1ख) देखें)

भवन निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी सूचना- प्रपत्र

- 1- भवन स्वामी/अध्यासी का नाम —
- 2- भवन संख्या/आई0डी0 सहित भवन की अवस्थिति —
- 3- भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य —
- 4- सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं0 —
- 5- पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल —
- 6- नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल —
- 7- नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि —
- 8- अध्यासन की तिथि —
- 9- अन्य विवरण- यदि कोई हो।

स्थान-

हस्ताक्षर भवन स्वामी/अध्यासी

दिनांक-

पता-

मोबाइल नं0-

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बस्ती

प्रपत्र-2

(नियम-4(2) देखें)

निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन प्रपत्र

1- आवेदक का नाम, पिता नाम और पता-

2- सम्पत्ति का विवरण-

(1) विक्रय और दान आदि के मामलों में-

(क) सम्पत्ति संख्याआई0डी0 और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता

(ङ) हस्तान्तरण की प्रकृति- बिक्री/दान

(च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि

(छ) कोई अन्य विवरण

(2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में-

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित), पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है।

(ङ) आवेदक का मृतक से सम्बन्ध

(च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश

(छ) उत्तराधिकार का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)

(ज) कोई अन्य विवरण

(3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में-

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण

(ङ) भ्रान्त कथन, त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य

(च) कोई अन्य विवरण

टिप्पणी-उप क्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3- आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण-

4- अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण-

(1)

(2)

(3)

(4)

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बस्ती

प्रपत्र-3

(नियम-4 (2घ) देखें)

नोटिस

श्रीध्रीमती पुत्रधुपुत्रीधपत्नी श्रीध्रीमती निवासी
..... का नाम नगर पालिका परिषद बस्ती की कर निर्धारण सूची में अंकित है।

2-(1) श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती निवासी..... द्वारा इस सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती..... की मृत्यु दिनांक.....को हो गई है वह/वे उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं और साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है।

(2) उनके द्वारा अपना नाम प्रविष्ट कर निर्धारण सूची को संशोधित/परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

3- यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपरोक्त के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वह/वे अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में साक्ष्यों सहित इस नोटिस के प्रकाशित/प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर नगर पालिका परिषद बस्ती के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती हैं। उक्त तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक/आवेदकों का नाम सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा और कोई पश्चातवर्ती दावा,ग्रहण नहीं किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण-

सम्पत्ति आई0डी0

सम्पत्ति संख्या

अवस्थिति

जारी करने की तिथि

मुहर

हस्ताक्षर

जारी करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम सहित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ-

1- समस्त हितबद्ध व्यक्तियों के नाम

2- आवेदक का नाम

नेहा वर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
बस्ती।

कार्यालय, नगर पंचायत भलुअनी, देवरिया

12 फरवरी, 2026 ई0

सं0 776/न0पं0भलुअनी/उपविधि-2025-26-उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत भलुअनी द्वारा अपने सीमान्तगत विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2024 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली, धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह का आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भलुअनी में प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र राष्ट्र चिन्ह

में दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 एवं स्वतंत्र चेतना में दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ जिसको मा0 बोर्ड बैठक दिनांक 24 जून, 2025 को प्रस्ताव संख्या-10 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मत से स्वीकृति प्रदान की गयी है । निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024” कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगर पंचायत भलुअनी, जनपद-देवरिया की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह उपविधि उ0प्र0 राज-पत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत भलुअनी, जनपद-देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ—

- (1) “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत भलुअनी, जनपद-देवरिया के अध्यक्ष से है।
- (2) “अधिकासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत भलुअनी, जनपद-देवरिया के अधिकासी अधिकारी से है।
- (3) “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत भलुअनी, जनपद-देवरिया से है।

1— ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

(2) किसी स्वामी के मरे हुये छोटे जानवर उठाने पर रु0 500.00 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति पशु।

(3) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं टेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

(4) नगर पंचायत सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेंकना प्रतिबन्धित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेंका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 तथा वाटर पालूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2,000.00 रु0 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।

(5) किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण।

(6) सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग वाल के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के मरे हुये अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या-3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा- 15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000.00 (पच्चास हजार

रुपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

(7) नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग वाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से समान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैनबसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड़ पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति अद्द प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(9) गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1,000.00 रु0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।

(10) नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वाल पेंटिंग/वाल राइटिंग आदि करना प्रतिबन्धित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु0 3,000.00 देय होगा।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथक्कृत करते हुये डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुये मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुये पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये 1,000.00 रु0 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में—सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हजार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुये निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500.00 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।

(13) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु0 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु0 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जायेगा।

(14) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा आपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलोग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000.00 वर्गमीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(15) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 में कचड़ा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्राविधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत हैं—

1— परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़े को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।

2— गीले कूड़े का निस्तारण बायो गैस अथवा कम्पोस्टपिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।

3— सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।

4— परिसर से निकलने वाले फूलपत्ती (Horticulture and Garden waste) जैसे अपशिष्ट का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।

5— परिसर से निकलने वाले मलवों, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules, 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवों, मिट्टी फेंकना प्रतिबन्धित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

(16) बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2— फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैनुअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम, 2013 के क्रम में नगर पंचायत सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबन्धित है।

(2) नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 5.00 लिया जायेगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

(4) नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50,000.00 रु0 वसूल करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर स्वयं की होगी।

(6) कार्यालय नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाईसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिये उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भू-स्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(9) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0 1,500.00 रु0 अथवा (समय-समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।

(10) सेप्टिक टैंक/ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओएसएस से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्चस्तरीय नागरिक हितैसी सेवायें रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधायें नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंचमार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपरवाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। अनुपालन करते हुए न पाये जाने पर नीचे प्रदर्शित अर्थदण्ड देय होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंचमार्क की विस्तृत जानकारी चाहिये ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(12) कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंचमार्क निम्नवत है—

क्रम सं०	सेवा का प्रकार	मनक लक्ष्य	अर्थदण्ड की स्थिति
1	2	3	4
			रुपये
1	केयर टेकर का नाम, मो० नं०, टोयलेट आई०डी०, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवार पर अंकित	200

1	2	3	4
			रुपये
2	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल0ई0डी0 लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी / इक्झासफैन द्वारा	500
4	सेप्टिक टैंक / सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500
5	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100
6	शौचालयों की ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लेटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों ऑनलाइन मैप में उपलब्ध	1000
7	दिव्यांग हितैषी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता।	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5000
8	सीट, बेसिनफर्श, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई।	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयरफ्रेशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल / टीसू पेपर तथा सफाईकर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता।	समस्त सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11	शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों पर	200
12	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थायें।	प्रत्येक सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टीशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थायें जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉसवेसिन उपलब्ध।	200

3— निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पाद को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पाद को नॉनबल्कवेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिये शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात् भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामी/संस्थान/व्यक्ति के लिये निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सूचित करते हुये निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0 2,000.00 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1,500.00 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्कों में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामी को चिन्हित करते हुये जूरमाना धनराशि मु0 2,000.00 रुपये वसूल किया जायेगा।

4— प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) भारत सरकार का राज-पत्र सं0-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम-2016 तथा भारत का राज-पत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम- 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई, 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू हैं।

(2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

(3) 1 जुलाई, 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबन्धित किया गया है—

(क) पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।

(ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरवड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैड़ी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री आदि।

(ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, काटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, रिट्रार का भी 1 जुलाई, 2022 से प्रयोग प्रतिबन्धित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जूरमाना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत में भी लागू है।

क्रम सं०	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरीबैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि
1	2	3
		रुपये—
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(क) 2	101 ग्राम — 500 ग्राम	2,000
(क) 3	501 ग्राम — 01 किलोग्राम	5,000
(क) 4	01 किलोग्राम — 05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंके जाने पर।	25,000
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों,	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत भलुअनी, जनपद-देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत भलुअनी, जनपद-देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

‘यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

देवेश कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत भलुअनी,
देवरिया।

कार्यालय, नगर पंचायत पाकबड़ा मुरादाबाद

07 जुलाई, 2025 ई0

सं0 198/न0पं0पा0/2025-26—कार्यालय नगर पंचायत पाकबड़ा के पत्र सं0-08/न0पं0पा0/2025-26 उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं0 2 सन् 1916) की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये “नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024” प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा-301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-30 के प्रस्तर संख्या-05 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक “आज” में दिनांक 06 जून, 2025 एवं दैनिक शाहटाइम्स 06 जून, 2025 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 30 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने के तदुपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अन्तिम प्रकाशन कर गजट में प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

शासनादेश संख्या-925/नौ-9-2025-ई-1853096 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 09 मई, 2025 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) जो नगर पंचायत, पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत “नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024” कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

“नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद—मुरादाबाद (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024**1— संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—**

(1)— यह उपविधि “नगर पंचायत पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024” कहलायेगी।

(2)— यह नगर पंचायत पाकबड़ा, जनपद-मुरादाबाद के सीमान्तर्गत लागू होंगी।

(3)— यह उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र में गजट का प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

2— परिभाषायें—

(1)— उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायें—

(क)— “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख)— “आबादी” का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर पंचायत सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये किया जा रहा हो।

(ग)— “निर्धारण सूची” का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

(घ)– “संशोधन और परिवर्तन” का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ङ)– “सम्पत्ति” का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(च)– “सम्पत्ति कर” का तात्पर्य नगर पंचायत सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2)– इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

3– निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण–

(1)– अधिनियम, 1916 की धारा-144 के अधीन नगर पंचायत पाकबड़ा कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जायेगा।

(2)– ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारण वश कराधान के लिये दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा।

(3)– (क)– किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यता निम्न के आधार पर प्राप्त होगा–

(एक)– पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा,

(दो)– पंजीकृत वसीयत द्वारा,

(तीन)– पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा,

(चार)– पंजीकृत दान-पत्र द्वारा,

(पाँच)– विधिक उत्तराधिकार द्वारा,

(ख)– किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यता इस प्रकार हो सकेगी–

(एक)– नगर पंचायत पाकबड़ा सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,

(दो)– गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति,

(तीन)– किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो।

(चार)– सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4)– (क)– सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख)– किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने पर भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किये गये सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5)– भवन में किये गये परिवर्तन और पविर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

4– सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया–

(1)– (क)– नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नव निर्माण या पुर्ननिर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर पंचायत द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जायेंगी।

(ख)– अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र-1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो के 60 दिवसों के भीतर अधिशासी अधिकारी को अनिवार्य रूप से देगा। अधिशासी अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2)– (क)– सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर पंचायत को प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आवेदन करेगा।

(ख)– आवेदक नगर पंचायत द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रु0 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को आनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को उपलब्ध करायेगा–

क्र 0 सं0	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख, दान पत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	2	3	4	5
1	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय-विक्रय या दान पत्र/ विभाजन विलेख (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	—	✓	—
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	—	—
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	—	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	—	—	✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	—
9	पूर्व में जारी नामान्तरण पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग)– आवेदन कारण प्रोदभूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् नगर पंचायत द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(घ)– अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जायेगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में प्रारूप-3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी।

(ङ)– खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर पंचायत क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर पंचायत द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर पंचायत क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च)– खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियम अवधि में न किये जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुये पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ)– खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाये जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुये निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिये प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज)– खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिशासी अधिकारी को अग्रसारित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ)– निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किया जायेगा।

(3)– (क)– कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के सम्बन्ध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-2 के खण्ड (11) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किये जा सकेंगे।

(ख)– कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर 'अध्यासी' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ग)– अध्यासन के आधार पर किये गये कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक से तैयार की जायेगी और उसे में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जायेगी।

(4)– निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

5— हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता—

(1)— जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना अधिशासी अधिकारी को देंगे।

(2)— पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, अधिशासी अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3)— अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते हैं, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

(4)— प्रत्येक व्यक्ति जो अधिशासी अधिकारी को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5)— जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हों तो नगर पंचायत द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6)— यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो तब तक अधिशासी अधिकारी को इसकी नोटिस न दे गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराये जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

6— निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना—

(1)— जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर पंचायत को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा। प्रभारों की दरें निम्नवत् होगी—

(क)— किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होगी—

क्रम सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	प्रभार की धनराशि
1	2	3
	वर्गफीट—	रुपये—
1	1000 तक	500.00
2	1001—2000 तक	1,000.00
3	2001—300 तक	1,500.00
4	3000 से अधिक	2,500.00

(ख)— नियम-3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी—

क्रम सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि
1	2	3
	रुपये—	रुपये—
1	रु० 5 लाख तक	1,000.00
2	रु० 5 लाख से रु० 10 लाख तक	2,000.00
3	रु० 10 लाख से रु० 15 लाख तक	3,000.00
4	रु० 15 लाख से रु० 50 लाख तक	5,000.00
5	रु० 50 लाख से ऊपर	10,000.00

(2)– उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1916 की धारा-92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पंचायत बोर्ड की स्वीकृति/अनुमति से किया जा सकेगा।

(3)– उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4)– यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम-(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।

(5)– यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर पंचायत से सम्बन्धित कोई धनराशि देय हो तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जायेगा।

7— आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण—

जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुये संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।

8—अपील—

अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-160 के अधीन अपील कर सकता है।

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से दस गुना तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर की अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रु० 25 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुर्माना के साथ-साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

मौ० याकूब,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत पाकबड़ा,
जनपद-मुरादाबाद।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सपना यादव पुत्री निर्पत सिंह यादव है। जो मेरे बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड, खतौनी एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या मे अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 6507 4185 9208 में मेरा नाम "शिखा सिंह" अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सपना यादव पुत्री निर्पत सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सपना यादव पुत्री निर्पत सिंह यादव
निवासिनी— ए 2219 आवास विकास,
नौबस्ता कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रियांशी श्रीवास्तव पुत्री स्व० प्रतीक कुमार श्रीवास्तव है। जोकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख मे अंकित है। त्रुटिवश एल०आई०सी० पालिसी सं० 233217906 मे मेरा नाम गुनगुन श्रीवास्तव अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रियांशी श्रीवास्तव पुत्री स्व० प्रतीक कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रियांशी श्रीवास्तव पुत्री स्व० प्रतीक कुमार श्रीवास्तव,
117/615 बी० ब्लॉक,
शारदा नगर नवीन नगर कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे० नारायण एसोसिएट्स 7/11 शिव नगर कालोनी अल्लापुर, इलाहाबाद में एक भागीदार अखण्ड प्रताप सिंह दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को फर्म से अपनी

भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गये है अब फर्म मे कुल दो साझीदार हंस नाथ सिंह, 85 प्रतिशत, भाष्कर मिश्रा 15 प्रतिशत होगा। फर्म से अलग हुए भागीदार अखण्ड प्रताप सिंह का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

हंस नाथ सिंह,
भागीदार,
मे० नारायण एसोसिएट्स,
7/11 शिव नगर कालोनी अल्लापुर, इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s ANIL FOODS PRODUCTS, Village Jatpura, Post Muqeempur, Tehsil Shikarpur, District Bulandshahr UP 203001 की साझीदारीनामा में श्रीमती राजकुमारी गिरी, श्री शिव कुमार, श्री सतीश कुमार एवं श्री कमल गिरी साझीदार थे। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार Neelam Goswami D/o Shri Jagdish Giri साझीदारी में सम्मिलित हुई तथा Shri Shiv Kumar, Shri Satish Kumar and Shri Kamal Giri साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हुये। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक: 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार वर्तमान में Raj Kumari Giri and Neelam Goswami साझीदार है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

Raj Kumari Giri,
साझीदार
M/s ANIL FOODS PRODUCTS,
Village Jatpura, Post Muqeempur,
Tehsil Shikarpur, District Bulandshahr, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ए०एन० हैण्ड्रीक्राफ्ट्स पता आजाद नगर नियर आयसा मस्जिद सम्मल रोड मुरादाबाद (यू०पी०) जिसका पंजीकरण संख्या—MOR/0010393 फर्म में पंजीकरण के

समय फर्म में दो पार्टनर श्रीमती सबीहा पत्नी नसीम उद्दीन, श्री राशिद जमाल पुत्र स्व० अब्दुल लतीफ थे। पार्टनर राशिद जमाल ने दिनांक-01 अप्रैल, 2023 को रिटायरमेन्ट लेकर अपनी साझेदारी समाप्त कर ली है। फर्म में दिनांक-01 अप्रैल, 2023 को सरदार अहमद पुत्र श्री मुख्तार अहमद सम्मिलित हो गये हैं। इस प्रकार फर्म में दो पार्टनर श्रीमती सबीहा एवं सरदार अहमद हैं। रिटायरमेन्ट लेने वाले पार्टनरों को कोई लेनदारी देनदारी नहीं है।

श्रीमती सबीहा
पार्टनर
मेसर्स ए०एन० हैण्ड्रीक्राफ्ट्स,
आजाद नगर नियर आयसा मस्जिद,
सम्भल रोड मुरादाबाद (यू०पी०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० एस०डी० गुधैनियां कोल्ड स्टोरेज, आगरा रोड, समशाबाद आगरा-283125 का पत्रावली संख्या-AGR-0008601 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 10 फरवरी, 2021 से श्री महेशचन्द्र, श्री शैलेन्द्र शर्मा तथा श्री अवधेश पुत्र श्री गोपाल निवासी- कौलारी पोस्ट डौकी जिला-आगरा स्वेच्छा से फर्म की साझेदारी से पृथक हो गये हैं। व संशोधित भागीदारी डीड दि० 20 जून 2026 के अनुसार श्री महेशचन्द्र तथा श्री शैलेन्द्र शर्मा साझेदार की हैसियत से रहेंगे। संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब 2 ही पार्टनर हिस्सेदार रहेंगे।

महेशचन्द्र
साझेदार
मे० एस०डी० गुधैनियां कोल्ड स्टोरेज,
आगरा रोड, समशाबाद आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० एम०सी० गुधैनियां कोल्ड स्टोरेज, आगरा रोड, समशाबाद आगरा का पत्रावली संख्या-AGR-0010919 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 से श्री महेशचन्द्र, श्री शैलेन्द्र शर्मा, श्री अवधेश तथा

श्री अभिषेक शर्मा पार्टनर थे। जिसमें दिनांक 20 जून, 2026 से श्री अवधेश पुत्र श्री गोपाल तथा श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री अवधेश निवासीगण कौलारी पोस्ट डौकी जिला-आगरा स्वेच्छा से फर्म की साझेदारी से पृथक हो गये हैं व संशोधित भागीदारी डीड दि० 20 जून 2026 के अनुसार श्री महेशचन्द्र तथा श्री शैलेन्द्र शर्मा साझेदार की हैसियत से रहेंगे। संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब 2 ही पार्टनर हिस्सेदार रहेंगे।

महेशचन्द्र
साझेदार
मे० एम०सी० गुधैनियां कोल्ड स्टोरेज,
आगरा रोड, समशाबाद।

सूचना

सूचित हो कि फर्म मेसर्स हरि कृपा किसान सेवा केन्द्र, ग्राम अहमदपुर त0 रामपुर मनिहारान जि० सहारनपुर का पंजीकरण सहायक निबन्धक, फर्म्स सो एवं चिट्स क्षेत्रीय कार्यालय सहारनपुर द्वारा दि० 12 अप्रैल, 2022 को हुआ था उस समय फर्म में सतेन्द्र पंवार, शोबित पंवार, अमित सिंह व सागर पंवार पार्टनर रहे। दिनांक 18 मई 2026 को पार्टनरशिप डीड के अनुसार सतेन्द्र पंवार ने फर्म से त्याग पत्र दिया है और अब फर्म में शोबित पंवार, अमित सिंह व सागर पंवार पार्टनर रह गये।

शोबित पंवार,
पार्टनर,
मेसर्स हरि कृपा किसान सेवा केन्द्र,
ग्राम अहमदपुर त0 रामपुर मनिहारान,
जिला सहारनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम उमा चंडोक (Uma Chandok), पुत्री अभिषेक चंडोक है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 3235 3689 4674 में उसका नाम बेबी उमा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम उमा चंडोक (Uma Chandok), पुत्री अभिषेक चंडोक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अभिषेक चंडोक पुत्र सुधीर कुमार,
357 आर्य नगर निकट पंजाबी धर्मशाला,
सीतापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक यादव (Abhishek Yadav) पुत्र संतराम यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 8999 4314 8889 में उसका नाम दीपांशु यादव अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिषेक यादव पुत्र संतराम यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुमन पत्नी संतराम यादव,
ग्राम मधुसूदनपुर देहराहर परगना मीरानपुर,
तहसील सदर जिला सुलतनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयांश पाल (Aayansh Pal) पुत्र राज कुमार पाल है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 5298 5109 2226 में उसका नाम मारकरम पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयांश पाल पुत्र राज कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रंजू पाल पत्नी राज कुमार पाल,
कटहुला गौसपुर बमरौली सदर,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आनन्द मिश्रा (ANAND MISHRA) पुत्र अनुराग मिश्रा (ANURAG MISHRA) है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 9698 0314 8178 में उसका नाम मीनांश मिश्रा (MEENANSH MISHRA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र का सही नाम आनन्द मिश्रा (ANAND MISHRA) पुत्र अनुराग मिश्रा (ANURAG MISHRA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनुराग मिश्रा, पुत्र देवेश चंद्र,
890 प्रकाश नगर रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वंशिका सिंह VANSHIKA SINGH पुत्री नवीन कुमार सिंह है जो कि मेरे हाई स्कूल इंटरमीडिएट, स्नातक विभिन्न शैक्षिक अभिलेखों एवं आधार कार्ड पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पासपोर्ट सं० J8787104 में मेरा नाम सिंह नियति SINGH NIYATI अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वंशिका सिंह VANSHIKA SINGH पुत्री नवीन कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

वंशिका सिंह, पुत्री नवीन कुमार सिंह,
एस 2/1-57 टैगोर शहर,
अर्दली बाजार वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जाइना वैस (ZAINA WAIS) पुत्री मोहम्मद वैस अंसारी है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है

परन्तु मेरे आधार कार्ड सं0 5877 0993 8213 में मेरा नाम अबिहा वैस (ABIHA WAIS) हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जाइना वैस पुत्री मोहम्मद वैस अंसारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जाइना वैस पुत्री मोहम्मद वैस अंसारी,
146/1ए, नीम सराय मुण्डेरा,
थाना धूमनगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवांश साहू (SHIVANSH SAHU) पुत्र गुरुशरण लाल साहू है जो कि शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 5639 3190 4066 में उसका नाम शिवांशु साहू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवांश साहू (SHIVANSH SAHU) पुत्र गुरुशरण लाल साहू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गुरुशरण लाल साहू,
पुत्र बेटूलाल साहू,
वार्ड सं0 01 महाबीरन पंचायत परशदेपुर,
तहसील सलोन जिला रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम हर्षिता सिंह पुत्री प्रदीप कुमार सिंह, निवासी डी-48/243, डी-5, मिसिर पोखर, लक्सा, वाराणसी, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 2235 1288 2736 में उसका नाम अग्रिम सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम हर्षिता सिंह पुत्री प्रदीप कुमार सिंह से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रदीप कुमार सिंह,
डी-48/243, डी-5, मिसिर पोखर,
लक्सा, वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रजबिया बानो (RAZBIYA BANO) पुत्री मो0 वसीम है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0- 5731 3625 7375 में नाम रजविया बानो (RAZVIYA BANO) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रजबिया बानो (RAZBIYA BANO) पुत्री मो0 वसीम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गुलनाज बानों पत्नी मो0 वसीम,
चकौदी, दाउदपुर, खोखीपुर,
जनपद सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विनय कुमार गिरी पुत्र केवल गिरी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 3616 3383 7829 में मेरा नाम विजय कुमार गिरी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विनय कुमार गिरी पुत्र केवल गिरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनय कुमार गिरी, पुत्र केवल गिरी,
ग्राम झारखंडी मंदिर बलरामपुर,
बलरामपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पूर्णिमा पुत्री राकेश कुमार तिवारी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 7142 7457 2984 में उसका नाम प्रागया तिवारी (Pragya Tiwari) अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को पूर्णिमा (Poornima) पुत्री राकेश कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आभा तिवारी पत्नी राकेश तिवारी,
लीलापुर साहबगंज, लालगंज, प्रतापगढ़।

NOTICE

The general public is informed that the correct name of my son is Siddha Samarth Jaiswal son of Rajendra Kumar Jaiswal, which is recorded in his educational records and birth certificate, By Mistake, my son's Aadhaar card Number 4920 6637 1515 has got his name as Anany Sai, which is incorrect. In future, my son should be known and recognized by his correct name, Siddha Samarth Jaiswal. This certifies that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me.

Kavita Jaiswal,
W/o Rajendra Kumar Jaiswal,
460/707M Raja Bara Ka Hata,
Mutthiganj Prayagraj, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जयश्री (JAYSHREE) पुत्री सुभाष चन्द्र (SUBHASH CHANDRA) है जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 2748 1948 7846 में मेरी पुत्री का नाम खुशी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जयश्री (JAYSHREE) पुत्री सुभाष चन्द्र (SUBHASH CHANDRA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुभाष चन्द्र पुत्र राम खेलावन,
ग्राम भोपतपुर अब्दालपुर, खास तहसील सोरांव,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनिका सिंह (Anika Singh) पुत्री मुकेश कुमार सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 6552 5884 4468 में मेरी पुत्री का नाम तितिक्षा सिंह (Titiksha Singh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनिका सिंह (Anika Singh) पुत्री मुकेश कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मुकेश कुमार सिंह, पुत्र श्री समरेश बहादुर सिंह,
281/518/बी-3, अमीर नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम रेनू लता श्रीवास्तव पुत्री स्व0 बेचन लाल श्रीवास्तव पत्नी राम जी श्रीवास्तव है, जो उसके आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है, त्रुटिवश मेरे शेयर सर्टिफिकेट (रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड) योजना के शेयर खाता संख्या— 58015154 में उसका नाम रेनू श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राम जी श्रीवास्तव,
पुत्र स्व0 पारस नाथ श्रीवास्तव,
162 सी नियर राज कमल चित्र मन्दिर,
उमरपुर रुहट्टा, हुसैनाबाद, जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लख्खू देवी (LAKHOO DEVI) पत्नी काली चरण रामभरोस वर्मा (KALI CHARAN RAMBHAROS VERMA) है। जो कि मेरे राशन कार्ड, बिजली बिल, परिवार रजिस्टर, बैंक पासबुक तथा उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9145 5305 1717 में मेरा नाम सगरहिन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लख्खू देवी (LAKHOO DEVI) पत्नी काली चरण रामभरोस वर्मा (KALI CHARAN RAMBHAROS VERMA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लख्खू देवी,
पत्नी स्व0 काली चरण रामभरोस वर्मा,
ग्राम पहाड़पुर तहसील लालगंज,
प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम फरजीन फातिमा (FARZEEN FATIMA) पुत्री शाह मोहम्मद है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2958 7180 9397 में मेरा नाम सोनिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम फरजीन फातिमा (FARZEEN FATIMA) पुत्री शाह मोहम्मद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

फरजीन फातिमा पुत्री शाह मोहम्मद
384/9बी, सुल्तानपुर भावा,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनन्या यादव (Ananya Yadav) पुत्री शरद कुमार यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 3505 5268 5488 में उसका नाम अनन्या यादव (Annya Yadav) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनन्या यादव (Ananya Yadav) पुत्री शरद कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शरद कुमार यादव पुत्र रणजीत सिंह यादव,
ग्राम पूरासपार, टेकवार उनवल,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सुकन्या यादव (Sukanya Yadav) पुत्री शरद कुमार यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 8545 6853 2187 में उसका नाम सुकन्या (Sukanya) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सुकन्या यादव (Sukanya Yadav) पुत्री शरद कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शरद कुमार यादव पुत्र रणजीत सिंह यादव,
ग्राम पूरासपार, टेकवार उनवल,
गोरखपुर, उ0 प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पुत्र का सही नाम शौर्य विराट (SHAURYA VIRAT) पुत्र राजेश कुमार है। जो की उसके शैक्षणिक अभिलेख व

जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार संख्या-6823 3271 3845 में उसका नाम विराट आनंद (VIRAT ANAND) अंकित हो गया है, जो की गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शौर्य विराट पुत्र राजेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजेश कुमार,
पुत्र स्व० कृष्णा नन्द,
सी 33/285 चंदुआ,
छित्तपुर, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेश कुमार तिवारी (Rajesh Kumar Tewari) पुत्र हरिहर नाथ तिवारी है, जोकि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 7209 4361 1613 मे मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी (Rajesh Kumar Tiwari) अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजेश कुमार तिवारी (Rajesh Kumar Tewari) पुत्र स्वर्गीय हरिहर नाथ तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेश कुमार तिवारी,
पुत्र स्व० हरिहर नाथ तिवारी,
794/671 कर्नल गंज, इलाहाबाद उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम Rabisul Nisha पुत्री Abdul Majid है जो उनके पैनकार्ड, पासपोर्ट, निर्वाचन कार्ड तथा आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी सेवा से सम्बन्धित अभिलेख में मेरी पत्नी का नाम Rabisul Nisha की जगह R. Nisha अंकित हो गया है, जो गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मोहम्मद नसीम,
म०नं० 37ए/1ए, करेली,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम किशन सिंह है जो उसके आधार कार्ड शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार कृष्णा सिंह उसका नाम रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र का नाम किशन सिंह से बदलकर कृष्णा सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गौरीशंकर कमलबहादुर सिंह,
पुत्र स्व. कमलबहादुर सिंह,
मकान नं०-103, ग्राम पुरवा,
पोस्ट समाधगंज जिला-जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम भूमिका गुप्ता (Bhumika Gupta) पुत्री जगन्नाथ गुप्ता है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 6351 1697 3434 में मेरा नाम भूमि (Bhumi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भूमिका गुप्ता (Bhumika Gupta) पुत्री जगन्नाथ गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भूमिका गुप्ता,
पुत्री जगन्नाथ गुप्ता
चिलबिला, माहुली माधोगंज,
प्रतापगढ़. उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम तनिषक कनौजिया (Tanishak kanaujiya) पुत्र राम प्रकाश कनौजिया है, जो उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2654 0400 7802 में उसका नाम तनिष रजक अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम तनिषक कनौजिया (Tanishak kanaujiya) पुत्र राम प्रकाश कनौजिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राम प्रकाश कनौजिया,
सुत कन्हैया लाल,
ग्राम बाभनपुर पोस्ट-रेडीगारापुर,
परगना व तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म पेप्सी एंटरप्राइजेज D-51 औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर मऊ 275101 का पंजीयन दिनांक 06 जुलाई, 2002 प्रत्रावली संख्या AZ-319 पर अंकित है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 24 फरवरी, 2025 के अनुसार श्री प्रवीण चंद्र मिश्रा तथा पीयूष मिश्रा साझेदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 09 जून, 2026 के अनुसार प्रवीण चंद्र मिश्रा दिनांक 09 जून, 2026 के लेखे से त्याग पत्र दे दिया है तथा इसी दिनांक से नए साझेदार सुश्री प्राची मिश्रा पुत्री प्रवीण चंद्र मिश्रा फर्म में नई साझेदार के तौर पर सम्मिलित हो रही हैं। वर्तमान में पीयूष मिश्रा एवं प्राची मिश्रा साझेदार हैं।

पीयूष मिश्रा,
ग्राम धरौली घोसी, मऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरिका पुत्री संतोष कुमार मिश्रा है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित

है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 6998 5437 7425 में उसका नाम श्रेया अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरिका पुत्री संतोष कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं

संतोष कुमार मिश्रा पुत्र स्व० हरिशचन्द्र,
105, पूरे रोहणी, सराय भाग मानी,
अमेठी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मुस्कान अंसारी पुत्री मो० अबरार है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-4747 8233 3782 में मेरा नाम जैनब बानो अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मुस्कान अंसारी पुत्री मो० अबरार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मुस्कान अंसारी पुत्री मो० अबरार,
लखपेंडा बाग, बरेल, जमा भवन के पास,
पोस्ट प्रधान डाकघर बाराबंकी,
जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश।

NOTICE

It is hereby informed to the general public that my correct name is Surendra Kumar Tiwari S/o Hanuman Datt Tiwari (Surendra Kumar Tiwari S/o Hanuman Datt Tiwari) which is recorded in my educational record due to an error my name has been entered as Arvind Kumar in my Aadhar Card No-5794 0175 8321 which is incorrect, in future I may

kindly be known and identified by my correct name

Surendra Kumar Tiwari S/o Hanuman Datt Tiwari.

Surendra Kumar Tiwari,
S/o Hanuman Datt Tiwari,
Pure Sadanand pure Rikhi,
Post-Kotiya, Aliganj Bazar Mithnepur,
Distt. Sultanpur, U.P.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम इबने हसन (IBNEY HASAN) पुत्र मो० अहसन है। जो मेरे वोटर आई०डी० कार्ड, खतौनी, परिवार रजिस्टर नकल तथा जिलाधिकारी जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-9268 5716 8437 में मेरा नाम सैय्यद इबने हसन पुत्र मो० अहसन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम इबने हसन (IBNEY HASAN) पुत्र मो० अहसन से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

इबने हसन पुत्र मो० अहसन
ग्राम कैमा, पोस्ट मित्तई, तहसील नवाबगंज,
जनपद बाराबंकी उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बिनीता (BINITA) पुत्री राम सजीवन है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या- 4428 2830 4207 में मेरा नाम विनीता (VINEETA) अंकित हो गया है जो कि गलत हैं भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बिनीता (BINITA) पुत्री राम सजीवन के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विनीता पुत्री राम सजीवन,
ग्राम पूरे समशेर सिंह पोस्ट अटौरा बुजुर्ग,
जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मोहक मिश्र पुत्र अनुराग मिश्र है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 9709 6429 6972 में उसका नाम अनुश मिश्र अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहक मिश्र पुत्र अनुराग मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनुराग मिश्र पुत्र शिव प्रकाश मिश्र,
711, निकट मनिका, सिनेमा गांधी नगर,
रायबरेली उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सौरभ चौरसिया (SAOURABH CHAURASIA) पुत्र राजेन्द्र चौरसिया है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख और निर्वाचन कार्ड में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-3569 5768 0142 में मेरा नाम उस्मान गनी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सौरभ चौरसिया पुत्र राजेन्द्र चौरसिया के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

सौरभ चौरसिया पुत्र राजेन्द्र चौरसिया,
म०सं०-313 शाहगंज थाना-शाहगंज,
तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुग्गा लाल पुत्र भगवान दीन है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र खतौनी, व उप जिलाधिकारी जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 7108 7557 7825 में मेरा नाम मुग्गा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुग्गा लाल पुत्र भगवान दीन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये नि स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुग्गा लाल पुत्र भगवान दीन,
ग्राम इच्छना सराय अकिल,
तहसील चायल कौशाम्बी उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वीरेन्द्र कुमार यादव (VEERENDRA KUMAR YADAV) पुत्र जुगुल किशोर यादव (JUGUL KISHOR YADAV) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9293 0209 6307 में मेरा नाम अजय सिंह यादव अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वीरेन्द्र कुमार यादव (VEERENDRA KUMAR YADAV) पुत्र जुगुल किशोर यादव (JUGUL KISHOR YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र जुगुल किशोर यादव,
आदमपुर उर्फ मदारीपुर बिसौना,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम स्वरित सिंह (SWARIT SINGH) पुत्र विशाल कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 7987 2687 7151 में उसका नाम स्वरिता (SOARITA) अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम स्वरित सिंह (SWARIT SINGH) पुत्र विशाल कुमार के नाम से जाना व पहचाना जावे।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण हो गयी है।

विशाल कुमार,
मनसैता थरवई, तहसील सोरांव,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शरन्या शुक्ला (Sharanya Shukla) पुत्री विजय कुमार शुक्ला (Vijay Kumar Shukla) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 2772 2565 3348 में मेरा नाम भूमि शुक्ला Bhumi Shukla अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शरन्या शुक्ला पुत्री विजय कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शरन्या शुक्ला,
पुत्री विजय कुमार शुक्ला,
35, नैय्यर कालोनी गोण्डा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अद्रिका पाण्डेय पुत्री विजय कुमार पाण्डेय है जो कि उसके आधार कार्ड में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपनी पुत्री का नाम अद्रिका पाण्डेय से बदलकर शौमिका पाण्डेय (Shaumika Pandey) रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को शौमिका पाण्डेय (Shaumika Pandey) पुत्री विजय कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विजय कुमार पाण्डेय,
122/12 जवाहर लाल नेहरू रोड,
टैगोर टाउन प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सार्थक यादव (SARTHAK YADAV) पुत्र नन्द लाल यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9613 9068 6028 में मेरा नाम सिद्धार्थ यादव (SIDDHARTH YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सार्थक यादव (SARTHAK YADAV) पुत्र नन्द लाल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सार्थक यादव,
पुत्र नन्द लाल यादव,
महुवारी पो० टी०एस०एल० नैनी,
जिला प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम नैन्सी सिंह Nancy Singh पुत्री राघवेन्द्र कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या 3362 2297 8672 में उसका नाम नैनसी (Nainci) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम नैन्सी सिंह Nancy Singh, पुत्री राघवेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गयी है

बेबी सिंह,
पत्नी राघवेन्द्र कुमार सिंह
ग्राम व पो. इमिलिया,
तहसील व जिला चन्दौली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम तन्मय सागर (TANMAY SAGAR) पुत्र बिपिन कुमार सागर है जो कि उसके शैक्षिक

अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 4308 5218 6734 में उसका नाम अश्वनी अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम तन्मय सागर (TANMAY SAGAR) पुत्र बिपिन कुमार सागर के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

बिपिन कुमार सागर,
चाँदपुर पो० मुरादगंज,
तह० सदर, जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मरियम शमीम (Mariyam Shameem) पुत्री मो० शमीम है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 8353 6944 1872 में उसका नाम मारिया शमीम (Mariya Shameem) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मरियम शमीम (Mariyam Shameem) पुत्री मो० शमीम के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

फरहत जहाँ पत्नी मो० शमीम,
ग्राम हटवा उपरहार,
अहमदपुर असरौली उपरहार,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अयांश श्रीवास्तव (Ayansh Srivastava) पुत्र सुशील कुमार श्रीवास्तव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 4924 9409 2687 में उसका नाम अयं श श्रीवास्तव अंकित होगया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अयांश श्रीवास्तव (Ayansh Srivastava)

पुत्र सुशील कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गयी है

सुशील कुमार,
श्रीवास्तव पुत्र राधेश्याम,
भुईली खास मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० निशा इन्डस्ट्रीज, पता— पीलीभीत रोड, रिछा, बहेड़ी, जिला बरेली पंजीकरण सं० BAR/0006660 में दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को कुल 9 साझेदार अब्दुल माजिद, अब्दुल वाजिद, खलीक अहमद, फजरूल रहमान, मो० हासिम, श्रीमती निशात फातमा, परवेज अहमद, जमाल अहमद व तनवीर अहमद थे। साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को अब्दुल माजिद, फजरूल रहमान, परवेज अहमद व जमाल अहमद अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये थे व दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को फर्म में एक नये साझेदार श्रीमती गुलशन आरा को सम्मिलित किया गया। अब फर्म में कुल 6 साझेदार तनवीर अहमद, श्रीमती गुलशन आरा, अब्दुल वाजिद, मो० हासिम, खलीक अहमद व श्रीमती निशात फातमा है।

उपरोक्त अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया है तथा फर्म व साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं।

तनवीर अहमद,
साझेदार,
मे० निशा इन्डस्ट्रीज,
पीलीभीत रोड, रिछा, बहेड़ी, जिला बरेली

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स “हमसा इंटरनेशनल”, मीरपुर मिलन विहार, दिल्ली

रोड, जिला मुरादाबाद (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 01 जून, 2026 को महेश चंद्र अग्रवाल पुत्र स्व० श्री ओ०पी० अग्रवाल व श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल पत्नी एम०सी० अग्रवाल व शुभम अग्रवाल पुत्र श्री एम०सी० अग्रवाल रिटायर हो गये हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर श्री अनुपम अग्रवाल, श्री अतुल अग्रवाल, श्रीमती रूपाली अग्रवाल, श्रीमती स्वाति अग्रवाल रह गये हैं।

अनुपम अग्रवाल,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स हमसा इंटरनेशनल,
मीरपुर मिलन विहार, दिल्ली रोड,
जिला मुरादाबाद (यू०पी०)।

सूचना

मेसर्स — TEE AARE SERVICE STATION
पता— MOH. POST, MOHANLALGANJ, LUCKNOW
जिसका पंजीकरण संख्या—181107 दिनांक 20 जून, 2018 को पंजीकृत है। उक्त फर्म के प्रथम पार्टनर, उमेश चन्द्र त्रिवेदी पुत्र स्व० सोहन लाल त्रिवेदी निवासी— प्रयाग नारायण रोड, लखनऊ, उ०प्र०, द्वितीय पार्टनर आलोक त्रिवेदी पुत्र श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी निवासी—त्रिलोकीनाथ रोड, हजरतगंज, लखनऊ साझीदार थे, दिनांक 22 जून, 2026 से प्रथम साझीदार, श्री उमेश चन्द्र त्रिवेदी पुत्र स्व० सोहन लाल त्रिवेदी निवासी— प्रयाग नारायण रोड लखनऊ, उ०प्र० साझीदारी से अलग हो गये हैं तथा दिनांक 22 जून, 2026 से नये साझीदार श्री अमित त्रिवेदी पुत्र श्री उमेश चन्द्र त्रिवेदी निवासी 47/8, प्रयाग नारायण रोड, लखनऊ साझीदारी में सम्मिलित किया गया है वर्तमान में प्रथम पार्टनर, श्री आलोक त्रिवेदी पुत्र श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी निवासी—त्रिलोकीनाथ रोड, हजरतगंज, लखनऊ, व द्वितीय पार्टनर, श्री अमित त्रिवेदी पुत्र श्री उमेश चन्द्र त्रिवेदी निवासी 47/8, प्रयाग नारायण रोड, लखनऊ साझीदार होंगे।

आलोक त्रिवेदी,
साझेदार,
मेसर्स— TEE AARE SERVICE STATION,
MOH. POST, MOHANLALGANJ,
LUCKNOW.

सूचना

मेसर्स—PRESHA ENTERPRISES पता- PLOT NO 2, KHASRA NO 17535, KA MIN SIT AT CHINHAT, LUCKNOW जिसका पंजीकरण संख्या—LUC/0014911 दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को पंजीकृत है। उक्त फर्म के प्रथम साझीदार, प्रियंका शर्मा पुत्री श्री रविन्द्र नाथ शर्मा निवासी— 31, इंजीनियरिंग कालोनी, यूनिटी कालेज, काकोरी, लखनऊ, उ०प्र०, श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी—रुधौली कलां, पो० रुद्रनगर, जिला—बस्ती तथा श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री जोखन प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम रुधौली कलां, पो० रुद्रनगर, जिला—बस्ती साझीदार थे, दिनांक 16 जून, 2026 को साझीदार, श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी—रुधौली कलां, पो० रुद्रनगर, जिला—बस्ती साझीदारी से अलग हो गई है। वर्तमान में प्रथम पार्टनर, प्रियंका शर्मा पुत्री श्री रविन्द्र नाथ शर्मा निवासी — 31, इंजीनियरिंग कालोनी, यूनिटी कालेज, काकोरी, लखनऊ, उ०प्र० व द्वितीय पार्टनर, श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री जोखन प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम रुधौली कलां, पो० रुद्रनगर, जिला—बस्ती साझीदार होंगे।

प्रियंका शर्मा,
साझीदार।

श्री अवधेश कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम जगरौली पो० भरायल जिला हरदोई साझीदार होंगे।

अवधेश कुमार पाण्डेय,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज, पता:—136, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 21 सितम्बर, 2025 को श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री आलोक गुप्ता रिटायर हो गयी है तथा दिनांक 21 सितम्बर, 2025 को श्रीमती आशी जैन पत्नी श्री शिवम जैन पुत्री श्री राजीव बंसल शामिल हो गयी है तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्रीमती वंदना जैन (50) व श्रीमती आशी जैन (50) हो गये हैं।

श्रीमती वंदना जैन,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज,
136, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद (यू०पी०)

सूचना

मेसर्स संकटमोचन कान्टेक्टर्स पता— 153, मंगली पुरवा, रेलवेगंज, जिला—हरदोई जिसका पंजीकरण संख्या—एच०ए०आर०/0012244 दिनांक 10 जनवरी, 2020 को पंजीकृत है। उक्त फर्म के प्रथम साझीदार, श्री संजय मिश्रा पुत्र श्री कमलाशंकर मिश्रा निवासी—42, मंगलीपुरवा, हरदोई उ०प्र० तथा श्री अवधेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री विद्यासागर पाण्डेय निवासी ग्राम जगरौली पो० भरायल जिला हरदोई साझीदार थे, दिनांक 11 मई, 2026 को साझीदार, श्री संजय मिश्रा पुत्र श्री कमलाशंकर मिश्रा निवासी— 42, मंगलीपुरवा, हरदोई, उ०प्र० साझीदारी से अलग हो गये हैं तथा दिनांक 11 मई, 2026 से नये साझीदार, श्री युवराज पाण्डेय पुत्र श्री अवधेश कुमार पाण्डेय को साझीदारी में सम्मिलित किया गया है वर्तमान में प्रथम पार्टनर, श्री अवधेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री विद्यासागर पाण्डेय निवासी ग्राम जगरौली पो० भरायल जिला—हरदोई व द्वितीय पार्टनर, श्री युवराज पाण्डेय पुत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एएन एण्टरप्राइजेज, पता—ए/11, शक्ति नगर, लाईनपार, जिला मुरादाबाद (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 21 मई, 2026 को निशांक भटनागर पुत्र श्री उमेश भटनागर निवासी लाकड़ी फाजलपुर, अपो० पुराना शिव मंदिर, मुरादाबाद रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 21 मई, 2026 को रामरक्ष पाल सिंह तोमर पुत्र श्री रामकुमार सिंह निवासी म०नं०—ए—1/31, आशियाना फेज—2, मुरादाबाद शामिल हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री आर्यन त्यागी (15%) व श्री रामरक्ष पाल सिंह तोमर (85%) हो गये हैं।

आर्यन त्यागी,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स एएन एण्टरप्राइजेज,
ए/11, शक्ति नगर, लाईनपार,
जिला मुरादाबाद (यू०पी०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हाई टैक एसोसिएट्स पता— शॉप नं0 14 न्यू मार्केट अपोजिट नन्दन सिनेमा गढ़ रोड जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की साझेदारी दिनांक 10 फरवरी, 2005 को हुई थी। यह कि फर्म की संशोधित साझेदारीनामा डीड दिनांक 14 जनवरी, 2022 की साझेदारी के अनुसार फर्म में निम्न साझेदार (1) मनोज गोयल पुत्र श्री महेश चंद गोयल (2) श्रीमती सुनीता गोयल पत्नी श्री मनोज कुमार गोयल थे। संशोधित साझेदारीनामा डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 की साझेदारी के अनुसार साझेदार नं0 (2) श्रीमती सुनीता गोयल पत्नी श्री मनोज कुमार गोयल स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गई है। तथा इनका फर्म से कोई लेना देना बकाया नहीं है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को नये साझेदार श्री शुभम गोयल पुत्र श्री मनोज गोयल स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार आए हैं। तथा अब इस फर्म में अब क्रम से दो पार्टनर हो गये हैं। (1) श्री मनोज गोयल पुत्र श्री महेश चंद गोयल (2) श्री शुभम गोयल पुत्र श्री मनोज गोयल हैं।

मनोज गोयल,
साझेदार,

मेसर्स हाई टैक एसोसिएट्स,
शॉप नं0 14 न्यू मार्केट अपोजिट नन्दन
सिनेमा गढ़ रोड, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवम कॉन्ट्रैक्टर पता— 42 ए तलहैटा गोविन्दपुरी भोजपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की पार्टनर शिप दिनांक 10 जून, 2010 को हुई थी। जिसके अनुसार फर्म में दो पार्टनर थे (1) श्री सुशील त्यागी पुत्र श्री सतवीर सिंह (2) श्री अरुण त्यागी पुत्र श्री महेश चन्द त्यागी थे। यह कि फर्म की संशोधित साझेदारीनामा डीड दिनांक 19 अगस्त, 2020 के अनुसार साझेदार नं0 (2) श्री अरुण त्यागी पुत्र श्री महेश चन्द त्यागी स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना देना बकाया नहीं है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 19 अगस्त, 2020 को नई साझेदार श्रीमती अनुपम त्यागी पत्नी श्री सुशील त्यागी स्वेच्छा से इस फर्म में नई साझेदार आई है तथा अब इस फर्म में अब क्रम से दो पार्टनर हो गये हैं। (1)

श्री सुशील त्यागी पुत्र श्री सतवीर सिंह (2) श्रीमती अनुपम त्यागी पत्नी श्री सुशील त्यागी हो गये हैं।

सुशील त्यागी,
साझेदार,
मेसर्स शिवम कॉन्ट्रैक्टर,
42 ए तलहैटा गोविन्दपुरी भोजपुर,
जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम खुशी तोदी पुत्री पंकज तोदी है जोकि उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड से 6711 7242 3868 में उसका नाम गुण तोदी अंकित हो गया है, जोकि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम खुशी तोदी पुत्री पंकज तोदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पंकज तोदी पुत्र ओम प्रकाश तोदी,
डी-60/63, सी-1 छोटी गैबी,
वाराणासी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दक्ष धीर पांडेय (DAKSH DHEER PANDEY) पुत्र मलय पाण्डेय है, जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0— 7972 5028 0358 में उसका नाम दक्ष पांडेय हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दक्ष धीर पांडेय पुत्र मलय पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सन्दर्भ में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुप्रिया मिश्रा, पत्नी मलय पाण्डेय,
3/183, विश्वास खण्ड-3,
गोमती नगर लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० ग्रेट शू एक्सपोर्ट, 62 विष्णु कॉलोनी, शाहगंज, आगरा का पत्रावली संख्या-AG-6026 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक-01 अप्रैल, 2000 से श्रीमती भूपिन्दर कौर, श्री जसवीर सिंह, श्री अमरजीत सिंह, श्रीमती अरविन्दरजीत कौर, तथा श्री गुरुप्रीत सिंह पार्टनर थे। जिसमें दिनांक- 02 अप्रैल, 2018 से श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह निवासी 31 लाजपत कुन्ज आगरा तथा श्रीमती अरविन्दर जीत कौर पत्नी श्री जसवीर सिंह निवासी-उपरोक्त स्वेच्छा से फर्म की साझेदारी से पृथक हो गये हैं, उक्त दिनांक को ही श्री नवप्रीत सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह निवासी 10 एचआईजी फ्रैण्ड्स कॉलोनी शाहगंज, आगरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। व संशोधित भागीदारी डीड दि० 02 अप्रैल 2018 के अनुसार श्री अमरजीत सिंह, श्रीमती भूपिन्दर कौर, श्री गुरुप्रीत सिंह तथा श्री नवप्रीत सिंह साझेदार की हैसियत से रहेंगे। संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब 04 ही पार्टनर हिस्सेदार रहेंगे।

अमरजीत सिंह,

साझेदार,

मे० ग्रेट शू एक्सपोर्ट, 62 विष्णु कॉलोनी,
शाहगंज, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० स्मृति कॉलोनाईजर्स एण्ड बिल्डर्स, 2 फ्लोर, सर्राफा कॉम्प्लैक्स, सर्राफा बाजार, अलीगढ़-202001 का पत्रावली संख्या ALI-0006170 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक-03 फरवरी, 2020 से श्री चन्द्रशेखर तथा लाजेश कुमारी पार्टनर थे। संशोधित डीड के अनुसार दिनांक-12 मई, 2020 को श्री चन्द्रशेखर पुत्र स्व० श्री कालीचरन

निवासी-29 एम० आई० जी० आवास विकास कॉलोनी सासनी गेट, अलीगढ़ की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 29 जून, 2020 से श्री अमित कुमार पुत्र स्व० श्री चन्द्रशेखर तथा श्री सुमित कुमार पुत्र श्री चन्द्रशेखर निवासीगण-29 एम०आई०जी० आवास विकास कॉलोनी सासनी गेट, अलीगढ़ को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। दिनांक-11 जून, 2026 से रचना वार्षीय पुत्री श्री गंगाप्रसाद निवासी-उपरोक्त को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा उक्त दिनांक को ही श्री सुमित कुमार पुत्र स्व० श्री चन्द्रशेखर निवासी उपरोक्त अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब 3 ही पार्टनर लाजेश कुमारी, श्री अमित कुमार तथा रचना वार्षीय हिस्सेदार रहेंगे।

लाजेश कुमारी,

साझेदार,

मे० स्मृति कॉलोनाईजर्स एण्ड बिल्डर्स,
2 फ्लोर, सर्राफा कॉम्प्लैक्स,
सर्राफा बाजार, अलीगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ऋद्धिमा गर्ग (Ridhima Garg) है। आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अस्मि संदीप गर्ग अंकित हो गया है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक/सरकारी अभिलेखों में उसका नाम ऋद्धिमा गर्ग (Ridhima Garg) ही दर्ज है। अतः आधार कार्ड में अंकित नाम अस्मि संदीप गर्ग एवं ऋद्धिमा गर्ग (Ridhima Garg) एक ही व्यक्ति के नाम हैं। भविष्य में मेरी पुत्री का सही नाम ऋद्धिमा गर्ग (Ridhima Garg) ही माना जाए।

संदीप गुप्ता पिता/अभिभावक ठ-30,

बटलर पैलेस, हजरतगंज,

लखनऊ, उ०प्र०।